अध्याय II: बजटीय प्रबंधन

अध्याय II: बजटीय प्रबंधन

यह अध्याय बिहार की बजटीय प्रक्रिया, बजट अनुमानों, संशोधित बजट, कुल बजट और वास्तविक व्यय के बीच महत्वपूर्ण अंतर के प्रकटीकरण के साथ-साथ बढ़े हुए बजट, अतिरिक्त व्यय, बड़ी बचत, सतत् बचत और निर्धारित समय सीमा के पश्चात् बजट के अभ्यर्पण जैसे मुद्दे की समीक्षा करता है। यह बजटीय आयोजना, नियंत्रण और अनुपालन में कमियों पर प्रकाश डालते हुए, यथार्थवादी बजट और समय पर निधियों के उपयोग की आवश्यकता पर बल देता है। इस अध्याय में जेंडर, बाल कल्याण, हरित और परिणाम बजट जैसी प्रथाओं का भी विश्लेषण किया गया है।

2.1 बजट प्रक्रिया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुपालन में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, उस वर्ष के लिए राज्य की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण, अर्थात बजट, जिसे "वार्षिक वित्तीय विवरण" कहा जाता है, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है। व्यय के अनुमान राजस्व और पूंजीगत शीर्षों के तहत 'भारित'[1] और 'दत्तमत'[2] श्रेणी में तैयार किए जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा राज्य (बिहार) की संचित निधि से कोई व्यय करने से पहले विधायी प्राधिकार आवश्यक है।

बिहार बजट मैनुअल के अनुसार, वित्त विभाग विभिन्न विभागों से अनुमान प्राप्त करके वार्षिक बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। प्राप्तियों और व्यय के विभागीय अनुमान विभागाध्यक्षों की सलाह पर नियंत्री अधिकारियों द्वारा तैयार किए जाते हैं और निर्धारित तिथियों पर वित्त विभाग को प्रस्तुत किए जाते हैं। योजना और विकास विभाग (पी०डी०डी०), बिहार सरकार, वित्त विभाग के मार्गदर्शन में राज्य योजनाओं के लिए परिव्यय तैयार करने के लिए उत्तरदायी है।

बजट अनुमानों का उद्देश्य, वित्त वर्ष के लिए सभी अनुमानित व्ययों को निधियों के उपलब्ध संसाधनों से प्रबंधित करना है। बिहार बजट मैनुअल (बी०बी०एम०) 2016 के प्रावधानों के अनुसार मूल बजट में शामिल नहीं किए गए नए या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता वाली अप्रत्याशित स्थितियों को अनुपूरक बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। यदि विधायी अनुमोदन से पहले तत्काल व्यय की आवश्यकता होती है, तो राज्यपाल राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत कर सकता है।

राज्य के बजट में मुख्य रूप से निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होते हैं:

• बजट भाषण	• वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)
• एफ०आर०बी०एम० अधिनियम वक्तव्य	• राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत अनुमान
• अनुदान की विस्तृत मांगें	• मध्यम अवधि की राजकोषीय योजना
• अनुदान मांगों का सारांश	• अन्य

स्रोत: बिहार बजट मैनुअल 2016 और बिहार सरकार का वार्षिक बजट

[1] *भारित व्यय: व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे संवैधानिक अधिकारियों का वेतन, ऋण अदायगी, आदि), राज्य की संचित निधि पर शुल्क भारित करता हैं और विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं है।*

[2] *दत्तमत व्यय: अन्य सभी व्यय के लिए विधायिका द्वारा मतदान किया जाता है।*

2.2 बजट अनुमान और अपेक्षा एवं वास्तविक के बीच का अंतर

संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए, कर व्यवस्था/अन्य प्राप्तियों के कुशल प्रबंधन और सार्वजनिक व्यय के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। सतत् बचत/आधिक्य अंतर्निहित बजटीय प्रक्रियाओं में सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है।

बिहार सरकार के बजट को 45 विभागों के व्यय प्रबंधन के लिए 52 अनुदानों (45 अनुदान और सात[3] विनियोग) में विभाजित किया गया है। राज्य विधानमंडल से प्राप्त कुल विनियोग, वास्तविक व्यय और बचत का सारांश **चार्ट 2.1** और **तालिका 2.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.1: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बजट प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

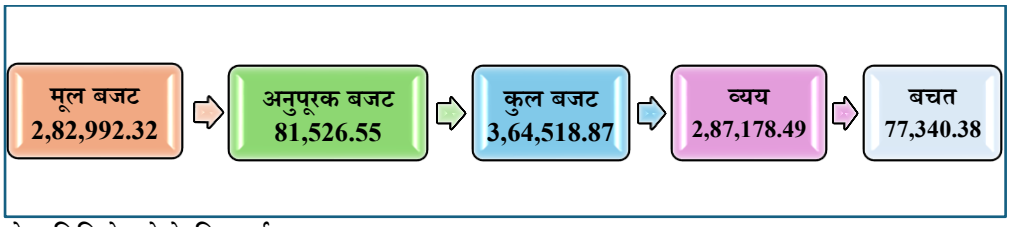

स्रोत: विनियोग लेखे, वित्त वर्ष 2024-25

तालिका 2.1: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बजट प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति		मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान / विनियोग	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत	2024-25 के दौरान अभ्यर्पण	
							कुल राशि	बचत का प्रतिशत
दत्तमत	राजस्व	2,07,343.48	62,197.83	2,69,541.31	2,00,800.52	68,740.79	8,075.36	11.75
	पूंजीगत	29,415.91	17,909.30	47,325.21	40,135.23	7,189.98	2,269.47	31.56
	ऋण एवं अग्रिम	1,240.09	1,281.23	2,521.33	2,453.38	67.94	43.27	63.69
	कुल	**2,37,999.49**	**81,388.37**	**3,19,387.86**	**2,43,391.13**	**75,996.73**	**10,388.09**	**13.67**
भारित	राजस्व	22,600.12	138.19	22,738.29*	21,843.71	894.60	0.25	0.03
	पूंजीगत	-	-	-	-	-	-	-
	लोक ऋण-पुनर्भुगतान	22,392.72	-	22,392.72	21,943.67	449.05	-	-
	कुल	**44,992.84**	**138.19**	**45,131.01**	**43,787.38**	**1,343.65**	**0.25**	**0.02**
आकस्मिकता निधि का विनियोग (यदि कोई हो)		-	-	-	-	-	-	-
महायोग		**2,82,992.32**	**81,526.55**	**3,64,518.87**	**2,87,178.49**	**77,340.38**	**10,388.35**	**13.43**

स्रोत: 2024-25 के विनियोग लेखे

** राशि को ₹ 0.01 करोड़ तक पूर्णांकित किया गया है*

नोट: ऊपर व्यय के सकल आंकड़े दर्शाए गए हैं जिसमे राजस्व शीर्षों (₹ 2,543.23 करोड़) और पूंजीगत शीर्षों (₹ 1,353.02 करोड़) के तहत वापस प्राप्त राशि को व्यय में कटौती के रूप में समायोजित नहीं किया गया है

[3] *अनुदान संख्या 05: राज्यपाल सचिवालय, 07: निगरानी, 13: ब्याज भुगतान, 14: ऋण का पुनर्भुगतान, 15: पेंशन, 28: उच्च न्यायालय, 32: विधानमंडल, 34: बिहार लोक सेवा आयोग।*

तालिका 2.1 में यह देखा जा सकता है कि परिसंपत्तियों के निर्माण पर केवल ₹ 40,135.23 करोड़ (62.19 प्रतिशत) का व्यय किया गया था, जबकि कुल पूंजीगत व्यय ₹ 64,532.28 करोड़ में से ₹ 21,943.67 करोड़ (34 प्रतिशत) का व्यय ऋणों के पुनर्भुगतान पर किया गया था। परिसंपत्तियों के निर्माण पर व्यय, कुल व्यय का केवल 13.98 प्रतिशत था।

मूल बजट, संशोधित अनुमान, कुल बजट और वास्तविक व्यय में 2020-21 से 2024-25 तक की अवधि के लिए प्रवृति **तालिका 2.2** में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.2: मूल बजट, संशोधित अनुमान, कुल बजट और वास्तविक व्यय में प्रवृति के साथ-साथ विगत पांच वर्षों के महत्वपूर्ण आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
मूल बजट (बीई)	2,11,761.50	2,18,302.70	2,37,691.21	2,61,885.40	2,82,992.32
अनुपूरक बजट	33,761.12	47,094.17	63,995.25	64,344.72	81,526.55
कुल बजट (टीबी)	**2,45,522.62**	**2,65,396.87**	**3,01,686.46**	**3,26,230.12**	**3,64,518.87**
संशोधित अनुमान (आरई)	2,29,716.91	2,58,632.52	2,89,734.83	3,14,950.54	3,54,084.11
वास्तविक व्यय (एई)	1,67,915.40	1,94,202.20	2,35,176.84	2,60,718.07	2,87,178.49
बचत	**77,607.22**	**71,194.67**	**66,509.62**	**65,512.05**	**77,340.38**
मूल बजट से अनुपूरक बजट का प्रतिशत	15.94	21.57	26.92	24.57	28.81
समग्र बचत/आधिक्य का समग्र बजट से प्रतिशत	31.61	26.83	22.05	20.08	21.22
कुल बजट – संशोधित अनुमान	15,805.71	6,764.35	11,951.63	11,279.58	10,434.77
संशोधित अनुमान – वास्तविक व्यय	61,801.51	64,430.32	54,557.99	54,232.47	66,905.62
मूल बजट बनाम वास्तविक व्यय	79.29	88.96	98.94	99.55	101.48
(कुल बजट – संशोधित अनुमान) कुल बजट के प्रतिशत के रूप में	6.44	2.55	3.96	3.46	2.86
(संशोधित अनुमान – वास्तविक व्यय) कुल बजट के प्रतिशत के रूप में	25.17	24.28	18.08	16.62	18.35

स्रोत: विनियोग लेखे एवं राज्य सरकार का बजट

जैसा कि ऊपर तालिका में देखा जा सकता है कि विगत पांच वर्षों में से प्रत्येक के दौरान, राज्य के मूल बजट (बजट अनुमान) को बाद में अनुपूरक बजट के माध्यम से अतिरिक्त प्रावधान करके बढ़ाया गया था जो मूल बजट के 15.94 प्रतिशत से 28.81 प्रतिशत तक था। 2024-25 के दौरान, यद्यपि अनुपूरक बजट के माध्यम से बजट अनुमान में 28.81 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी, लेकिन व्यय वित्त वर्ष 2024-25 में मूल बजट से केवल 1.48 प्रतिशत अधिक रहा। इसके अलावा, यद्यपि 2020-21 से 2023-24 के दौरान अनुपूरक बजट प्रदान किया गया था, लेकिन वास्तविक व्यय मूल बजट से भी कम रहा।

विगत पांच वर्षों में मूल बजट, संशोधित अनुमान, कुल बजट और वास्तविक व्यय की प्रवृत्ति **चार्ट 2.2** में प्रदर्शित गई है।

चार्ट 2.2 मूल बजट, संशोधित अनुमान, कुल बजट और वास्तविक व्यय के रुझान

(₹ करोड़ में)

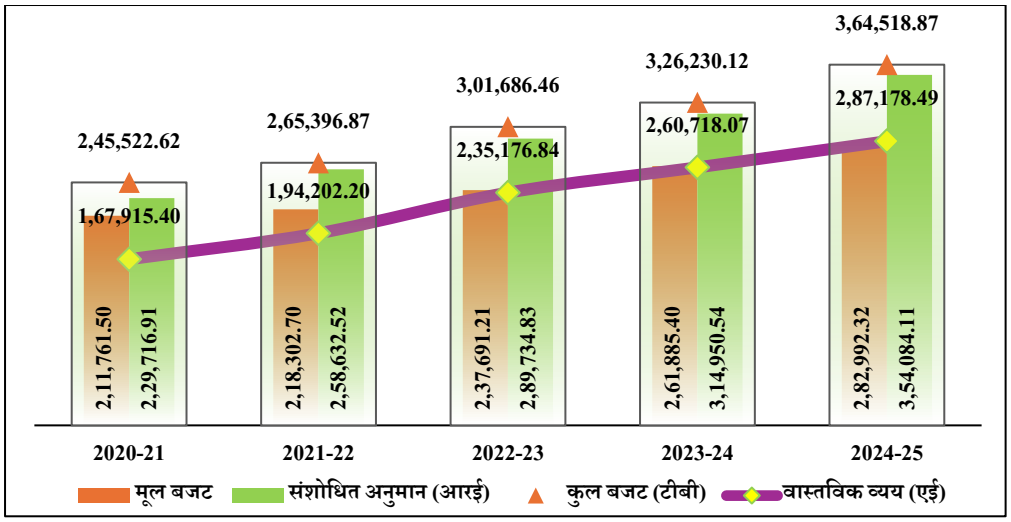

स्रोत: विनियोग लेखे एवं राज्य सरकार का बजट

चार्ट 2.2 से यह देखा जा सकता है कि विगत पांच वर्षों के दौरान, मूल बजट और कुल बजट के बीच 15.94 से 28.81 प्रतिशत तक का अंतर था, जिससे पता चलता है कि आगामी वर्ष के लिए बजट तैयार करते समय विगत वर्षों के दौरान व्यय के रुझानों पर विचार नहीं किया गया था। बजट अनुमानों, कुल बजट, व्यय और संशोधित अनुमानों के बीच इस निरंतर भिन्नता से बचने के लिए, अधिक यथार्थवादी बजट अनुमान के अभ्यास और बेहतर वित्तीय योजना की आवश्यकता थी।

2.2.1 बजटीय प्रावधानों और व्यय का घटक/सेवा वार विश्लेषण

राज्य के बजट में विभिन्न घटक जैसे प्रतिबद्ध और स्थापना व्यय, राज्य योजनाओं (एस०एस०), केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सी०एस०एस०), केन्द्रीय क्षेत्र योजना (सी०ए०एस०)[4]और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ई०ए०पी०) के लिए योजनावार पृथक बजट शामिल थे।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट और व्यय के घटकवार संक्षिप्त विश्लेषण **तालिका 2.3** में दिया गया है।

तालिका 2.3: वर्ष 2024-25 के लिए घटकवार बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

घटक	कुल बजट	कुल व्यय	कुल बचत	कुल बजट का प्रतिशत	कुल व्यय का प्रतिशत	कुल बजट की तुलना में व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	(7=3/2*100)
स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय*	2,07,036.42	1,71,736.42	35,299.99	56.80	59.80	82.95
राज्य योजनाएं	71,499.57	60,886.90	10,612.67	19.61	21.20	85.16
केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए केन्द्रांश	46,673.26	22,757.09	23,916.17	12.80	7.92	48.76

[4] *केंद्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित योजनाओं को बिहार में केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।*

घटक	कुल बजट	कुल व्यय	कुल बचत	कुल बजट का प्रतिशत	कुल व्यय का प्रतिशत	कुल बजट की तुलना में व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	(7=3/2*100)
केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्यांश	35,816.24	28,408.63	7,407.62	9.83	9.89	79.32
केन्द्रीय क्षेत्र योजना	25.38	6.25	19.13	0.01	0.00	24.63
बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना	3,468.00	3,383.20	84.80	0.95	1.18	97.55
कुल	**3,64,518.87**	**2,87,178.49**	**77,340.38**	**100.00**	**100.00**	**78.78**

स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण और विस्तृत विनियोग लेखे

**** इसमें 15वें वित्त आयोग और छठे राज्य वित्त आयोग के अनुदान शामिल हैं***

जैसा कि **तालिका 2.3** से देखा जा सकता है, बजट प्रावधान की तुलना में किए गए व्यय का प्रतिशत सी०ए०एस० योजनाओं (24.63 प्रतिशत) और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के केन्द्रांश घटक (48.76 प्रतिशत) के मामले में विशेष रूप से कम था। केन्द्रांश एवं राज्यांश के पूर्व निर्धारित अनुपात के बावजूद, इन योजनाओं में केन्द्रांश में बचत राज्यांश (20.68 प्रतिशत) के बचत से तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक (51.24 प्रतिशत तक) थी। उदाहरण के लिए, मध्याह्न भोजन (पी०एम० पोषण) और समग्र शिक्षा अभियान में केन्द्रांश के तहत कुल बजट की तुलना में बचत का प्रतिशत क्रमशः 38.39 और 57.85 प्रतिशत था।

कुल बजट का केवल 78.78 प्रतिशत तक व्यय, योजना और क्रियान्वयन की कमियों के कारण यथोचित परिणामों की प्राप्ति नहीं होने का संकेत देता है।

बजट के निष्पादन से विचलन पर स्पष्टीकरण का अप्रस्तुतीकरण

बिहार राज्य के लिए विनियोग लेखे (उप शीर्ष स्तर पर) पर टिप्पणियों के लिए अपनाए गए मानदंड, जैसा कि लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित किया गया है, **तालिका 2.4** में वर्णित है।

तालिका 2.4: विनियोग लेखे पर टिप्पणियों के लिए मानदंड

क्रम संख्या	अनुदान-वार बजट प्रावधान	बचत (-) / आधिक्य (+)	उप-शीर्ष वार मानदंड
1	₹ 5.00 करोड़ तक	₹ 5.00 लाख	उप-शीर्ष स्तर पर प्रत्येक मामले में कॉलम संख्या 3 में दर्शायी गयी राशि या उप-शीर्ष वार प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो
2	₹ 5.00 करोड़ से अधिक लेकिन ₹ 50.00 करोड़ से कम	₹ 10.00 लाख	
3	₹ 50.00 करोड़ से अधिक लेकिन ₹ 100.00 करोड़ से कम	₹ 15.00 लाख	
4	₹ 100.00 करोड़ से अधिक लेकिन ₹ 500.00 करोड़ से कम	₹ 20.00 लाख	
5	₹ 500.00 करोड़ से अधिक	₹ 25.00 लाख	

स्रोत: वर्ष 2024-25 के लिए विनियोग लेखे

वर्ष के लिए व्यय के आंकड़ों के संकलन के बाद, सभी अनुदान नियंत्रण अधिकारियों को राज्य के विनियोग लेखे में शामिल करने के लिए बचत या आधिक्य के कारण देने की आवश्यकता होती है। इसके लिए, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित सीमाओं को संज्ञान में रखते हुए,

अनुमोदित बजटीय आवंटन से व्यय में भिन्नता के सन्दर्भ में कारणों/स्पष्टीकरणों की मांग करते हुए, विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को मसौदा विनियोग लेखे उपलब्ध कराते हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान, विस्तृत विनियोग लेखे में शामिल सभी उप-शीर्षों में ₹ 77,340.38 करोड़ की कुल बचत पाई गई। इसमें से, 1,909 उप-शीर्षों में ₹ 67,991.58 करोड़ की भिन्नताओं के लिए राज्य सरकार/ विभागों/मुख्य नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया था। विनियोग लेखे में उप-शीर्ष स्तर पर प्राप्त/प्रस्तुत किए जाने हेतु अपेक्षित स्पष्टीकरणों की स्थिति **चार्ट 2.3** दर्शाई गयी है।

चार्ट 2.3: विनियोग लेखे में भिन्नता के लिए प्राप्त स्पष्टीकरण का सारांश

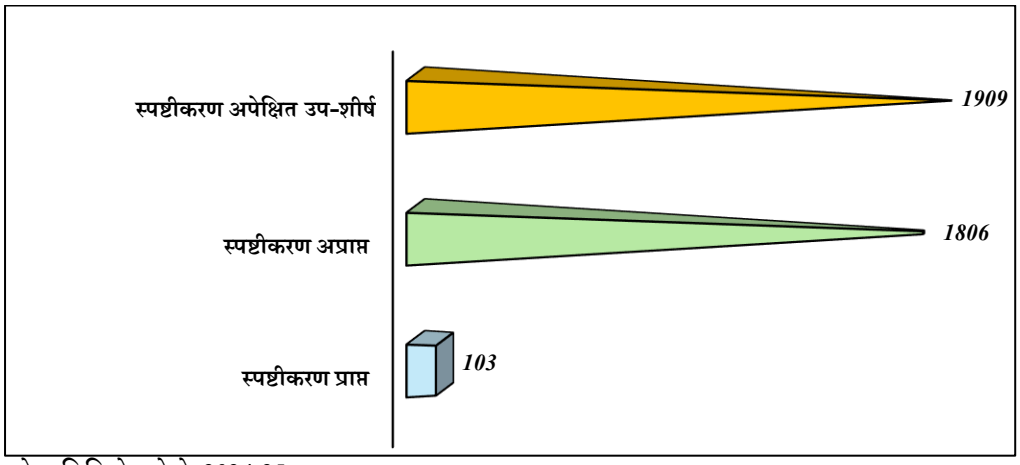

स्रोत: विनियोग लेखे, 2024-25

चार्ट 2.3 यह दर्शाता है कि ₹ 60,452.46 करोड़ की बचत वाले 1,806 उप-शीर्षों (95 प्रतिशत) में भिन्नता (बचत/आधिक्य) के लिए स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराये गये थे। इस प्रकार, विनियोग लेखे ने विधायिका द्वारा प्रदान किए गए बजट का पूरी तरह से उपयोग करने में सरकार की बाधाओं को स्पष्ट नहीं किया।

2.3 बजट कार्यकुशलता

2.3.1 व्यय संरचना की उत्पादकता

व्यय संरचना की उत्पादकता यह निर्धारित करती है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के मध्य निधियों के पुनर्विनियोजन ने व्यय संरचना से भिन्नता को किस स्तर तक प्रभावित किया है।

बिहार में अनुपूरक बजट प्रावधानों के माध्यम से बजटीय आवंटनों में वृद्धि की गई थी।

अनुदानों में बचत और आधिक्य का वर्ष-वार विश्लेषण, बजट आयोजना और उसके निष्पादन के साथ-साथ वित्तीय प्रबंधन में राज्य द्वारा कुशल प्रबंधन की महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। विगत पांच वर्षों में अनुदान स्तर पर बचत और आधिक्य की प्रवृति **चार्ट 2.4** में दिखाई गई है।

चार्ट 2.4: विगत पांच वर्षों में अनुदानों के अंतर्गत बचत और आधिक्य की प्रवृति

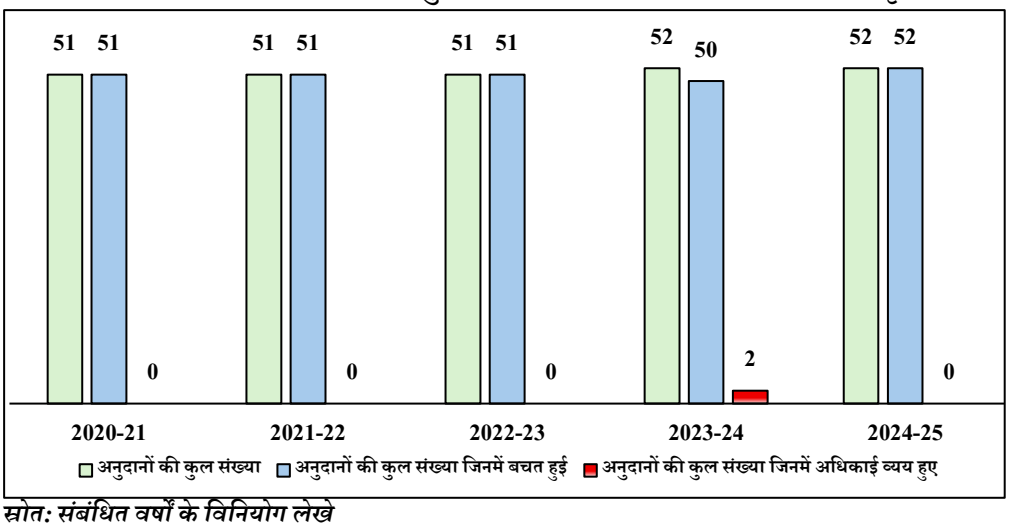

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

जैसा कि **चार्ट 2.4** से देखा जा सकता है, राज्य के सभी अनुदानों (2023-24 को छोड़कर) में बचत हुई थी। वर्ष 2023-24 के दौरान, बजटीय प्रावधानों की तुलना में दो अनुदानों में अधिक व्यय देखा गया।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल बजट (टीबी) की तुलना में राजस्व/पूंजीगत-दत्तमत/भारित खंडों में व्यय उत्पादकता की संरचना को **तालिका 2.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5: वित्त वर्ष 2024-25 की व्यय उत्पादकता की संरचना

(₹ करोड़ में)

विवरण		कुल बजट	व्यय	विचलन (-) कुल बजट – व्यय	प्रतिशत विचलन (-) बनाम कुल बजट
राजस्व	दत्तमत	2,69,541.31	2,00,800.52	68,740.79	25.50
	भारित	22,738.30	21,845.69	892.61	3.93
पूंजीगत	दत्तमत	49,846.54	42,588.61	7,257.93	14.56
	भारित	22,392.72	21,943.67	449.05	2.01
कुल		**3,64,518.87**	**2,87,178.49**	**77,340.38**	**21.22**

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे, 2024-25

वित्त वर्ष 2024-25 में अनुदान स्तर पर प्रतिशतवार व्यय संरचना की विचलन को **तालिका 2.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.6: वित्त वर्ष 2024-25 में व्यय संरचना समग्र विचलन

(प्रतिशत में)

समग्र विचलन	विचलन की सीमा	अनुदानों की संख्या
राजस्व		
दत्तमत: (-) 22.36	0 से ± 25	26
	± 25 से ± 50	16
	± 50 से ± 100	5
	≥100	0
	कोई प्रावधान नहीं	5
अनुदानों की संख्या		**52**

समग्र विचलन	विचलन की सीमा	अनुदानों की संख्या
भारित: (-) 9.80	0 से ± 25	7
	± 25 से ± 50	1
	± 50 से ± 100	0
	≥100	0
	कोई प्रावधान नहीं	44
अनुदानों की संख्या		**52**
राजस्व दत्तमत खंड के पांच अनुदानों (अनुदान संख्या 5, 13, 14, 28 और 34) और राजस्व भारित खंड के 44 अनुदानों (अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, और 52) में कोई प्रावधान नहीं किया गया था		
पूंजीगत		
दत्तमत: (-) 16.89	0 से ± 25	19
	± 25 से ± 50	6
	± 50 से ± 100	9
	≥100	1
	कोई प्रावधान नहीं	17
अनुदानों की संख्या		**52**
भारित: (-) 0.01	0 से ± 25	1
	± 25 से ± 50	0
	± 50 से ± 100	0
	≥100	0
	कोई प्रावधान नहीं	51
अनुदानों की संख्या		**52**
पूंजीगत दत्तमत खंड के 17 अनुदानों (अनुदान संख्या 5, 6, 7, 13, 14, 15, 17, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 45 और 52) और पूंजीगत भारित खंड के 51 अनुदानों (अनुदान संख्या 4 को छोड़कर) में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।		

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे के साथ अनुदान मांगें, 2024-25

तालिका 2.5 यह दिखाती है कि कुल विचलन की राशि ₹ 77,340.38 करोड़ में से 88.88 प्रतिशत (₹ 68,740.79 करोड़) का प्रमुख विचलन व्यय के राजस्व-दत्तमत खंड में था। **तालिका 2.6** यह दिखाती है कि राजस्व-दत्तमत में कुल विचलन में से, 16 अनुदानों में ± 25 से ± 50 प्रतिशत, और पांच अनुदानों में ± 50 से ± 100 प्रतिशत था। इसी तरह, पूंजीगत-दत्तमत खंड में, छह अनुदानों में ± 25 से ± 50 प्रतिशत का विचलन हुआ और ± 50 से ± 100 प्रतिशत का विचलन नौ अनुदानों में हुआ।

विगत पांच वर्षों के दौरान वैसे अनुदानों जिनमे सतत् और महत्वपूर्ण (कुल बजट के 25 प्रतिशत से अधिक) विचलन रहा है, उन्हें **तालिका 2.7** में दिखाया गया है।

तालिका 2.7: 2020-25 के दौरान सतत् और महत्वपूर्ण विचलन वाले अनुदान
(प्रत्येक वर्ष में 25 प्रतिशत या अधिक)

(प्रतिशत में)

क्रम संख्या	अनुदान सं०	विभाग का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कुल बजट बनाम वास्तविक व्यय							
राजस्व – दत्तमत							
1	01	कृषि	54.92	55.35	44.82	45.81	44.63
2	04	मंत्रिमंडल सचिवालय	52.57	31.23	42.66	57.25	35.37
3	08	कला, संस्कृति एवं युवा	56.81	45.34	31.48	53.75	45.54
4	20	स्वास्थ्य	25.35	25.91	42.86	34.41	35.05
5	25	सूचना प्रावैधिकी	44.72	52.56	38.99	47.13	31.93
6	29	खान और भूतत्व	39.34	36.46	33.11	28.56	64.05
7	39	आपदा प्रबंधन	27.96	32.78	34.04	46.81	57.22
8	40	राजस्व एवं भूमि सुधार	51.00	36.46	35.11	35.43	33.15
9	45	गन्ना उद्योग	60.81	68.07	73.47	49.51	35.89
10	47	परिवहन	45.71	52.01	44.24	42.96	61.06
11	48	नगर विकास एवं आवास	40.17	41.35	44.05	28.36	37.88
पूंजीगत - दत्तमत							
12	11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछडा वर्ग कल्याण	96.55	87.62	100.00	99.99	99.78
13	18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	100.00	77.21	31.09	78.50	80.72
14	30	अल्पसंख्यक कल्याण	73.96	65.02	91.55	76.00	33.37
15	39	आपदा प्रबंधन	100.00	100.00	100.00	53.15	44.93
16	40	राजस्व एवं भूमि सुधार	97.84	93.90	99.50	98.30	100.00
17	47	परिवहन	93.71	80.12	75.75	51.68	81.79

स्रोत: अनुदान की मांग तथा प्रासंगिक वर्षों के विस्तृत विनियोग लेखे

जैसा कि **तालिका 2.7** में देखा जा सकता है, कुल बजट के संबंध में सतत् और उच्च विचलन (प्रतिशत में) के अधिकांश मामले पूंजीगत खंड से संबंधित हैं, जो अवास्तविक बजट या परियोजनाओं के अवास्तविक निष्पादन को दर्शाते हैं।

2.4 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 के तहत पारित विनियोग अधिनियम में परिनियोजित अनुसूचियों में निर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों और भारित विनियोगों की राशि की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे हैं। इन लेखों में निवल बजट की तुलना में सकल व्यय को (मूल बजट प्रावधान + अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण और पुनर्विनियोग की गणना करने के बाद स्पष्ट रूप से सकल आधार पर) दर्शाया जाता है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित किया जाता है कि अनुदानों के अंतर्गत किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के अनुसार है अथवा नहीं और संविधान के उपबंधों (अनुच्छेद 202) के अंतर्गत भारित किए जाने के लिए अपेक्षित व्यय इस प्रकार

भारित है अथवा नहीं। इससे यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि व्यय कानूनों, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है अथवा नहीं।

2.5 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया

2.5.1 अधिकाई व्यय और उसका नियमितीकरण

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह राज्य विधानमंडल से अनुदानों/विनियोगों से अधिकाई व्यय को नियमित कराये। यद्यपि इस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय के नियमितीकरण के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, फिर भी राज्य विधानमंडल को अधिकाई व्यय को नियमित करना है। राज्य विधानमंडल से लंबित नियमितीकरण के विगत वर्षों से संबंधित अधिकाई व्यय के मामले **तालिका 2.8** में दर्शाये गये हैं।

तालिका 2.8: विगत वर्षों से संबन्धित राज्य विधानमंडल से नियमितीकरण हेतु लंबित अधिकाई व्यय के मामले

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अधिकाई व्यय	वर्ष	अधिकाई व्यय
पशुपालन विभाग			
1987-88	6.92	1992-93	87.77
1988-89	6.13	1993-94	125.03
1989-90	8.65	1994-95	170.61
1990-91	29.29	1995-96	146.49
1991-92	70.72	1996-97	6.37
विधान-मंडल			
2019-20	2.30		
पथ निर्माण विभाग			
2023-24	39.43		
ग्रामीण विकास विभाग			
2023-24	0.04		
कुल	**699.75**		

वित्त वर्ष 1987-88 से 1996-97 के दौरान पशुपालन विभाग के तहत किए गए अधिकाई व्यय के मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, वित्त वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान किए गए अधिकाई व्यय को अभी नियमित किया जाना है।

2.5.2 अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

संविधान के अनुच्छेद 205 में मूल प्रावधानों से अधिक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान या विनियोग की आवश्यकता निर्धारित की गई है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा 52 अनुदानों के 942 लेखा शीर्षों में ₹ 81,526 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान किए गए थे। 12 अनुदानों के तहत 35 लेखा शीर्षों (***परिशिष्ट 2.1***) में, यह पाया गया कि ₹ 6,225.58 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 50 करोड़ या अधिक) के अनुपूरक प्रावधान किए गए थे, लेकिन व्यय

₹ 39,765.47 करोड़ के मूल प्रावधानों तक भी नहीं हुआ, जिससे वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 7,306.62 करोड़ की बचत हुई। इसलिए, इन मामलों में अनुपूरक बजट अनावश्यक सिद्ध हुआ।

इसी प्रकार, 33 लेखा शीर्षों (14 अनुदानों के तहत) में, ₹ 17,095.97 करोड़ के मूल बजट प्रावधानों (प्रत्येक ₹ 10 करोड़ से अधिक) के अतिरिक्त ₹ 29,773.16 करोड़ की महत्वपूर्ण राशि का अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ या अधिक) किया गया था। इन लेखा शीर्षों के तहत किया गया ₹ 40,192.36 करोड़ का व्यय, कुल बजट प्रावधान ₹ 46,869.13 करोड़ (मूल बजट + अनुपूरक अनुदान) से ₹ 6,676.77 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 50 करोड़ और उससे अधिक) कम रहा। फलतः अतिरिक्त अनुपूरक बजट का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सका और ₹ 6,676.77 करोड़ की बचत अधिक सिद्ध हुई (***परिशिष्ट 2.2***)।

2.5.3 निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

पुनर्विनियोग, अनुदान के भीतर, विनियोग की एक इकाई से दूसरी इकाई में निधियों का अंतरण है जहां अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होती है। 2024-25 के दौरान, 48 अनुदानों में कुल ₹ 3,630.52 करोड़ का पुनर्विनियोग किया गया था।

आठ विभागों के अंतर्गत 15 लेखा शीर्षों में, पुनर्विनियोग (₹ पाँच करोड़ या अधिक) के माध्यम से बजट में ₹ 147.26 करोड़ की वृद्धि अनावश्यक साबित हुई क्योंकि व्यय मूल/कुल बजट प्रावधानों (***परिशिष्ट 2.3***) के बराबर या उससे कम था, यथार्थ मूल्यांकन के बिना पुनर्विनियोजन किया गया था।

2.5.4 अव्ययित राशि और अभ्यर्पित विनियोग और/या बड़ी बचत/अभ्यर्पण

बजट प्रस्तावों को अनुमानित सभी व्यय के लिए यथोचित स्तरों पर इष्टतम बनाना चाहिए जिससे बजटीय निधियों के अनुपयोगित रहने को कम किया जा सके। अनुमोदित बजट की सीमा के अन्दर इष्टतम पुनर्आवंटन की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था, व्यय करने वाली इकाइयों द्वारा समय पर अभ्यर्पण किया जाना है।

अनुदान और विनियोग स्तर पर बचत के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2024-25 के दौरान 15 अनुदानों के तहत 16 मामलों (राजस्व: 14 और पूंजीगत: 02) में ₹ 67,397.83 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 500 करोड़ से अधिक) की संचयी बचत (अभ्यर्पण के अतिरिक्त) हुई (***परिशिष्ट 2.4***)।

इसके अलावा, विगत पांच वर्षों में 10 अनुदानों (***परिशिष्ट 2.5***) के 10 खंडों (राजस्व-दत्तमत में नौ और पूंजीगत-दत्तमत में एक) में ₹ 1,000 करोड़ और उससे अधिक की सतत् बचत भी पाई गई।

बचत के साथ उपयोग की प्रतिशतता के आधार पर समूहीकृत अनुदानों का विवरण (***परिशिष्ट 2.6***) एवं **चार्ट 2.5** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.5: कुल बचत के साथ बचत की प्रतिशतता के आधार पर अनुदान/विनियोग की संख्या का वितरण

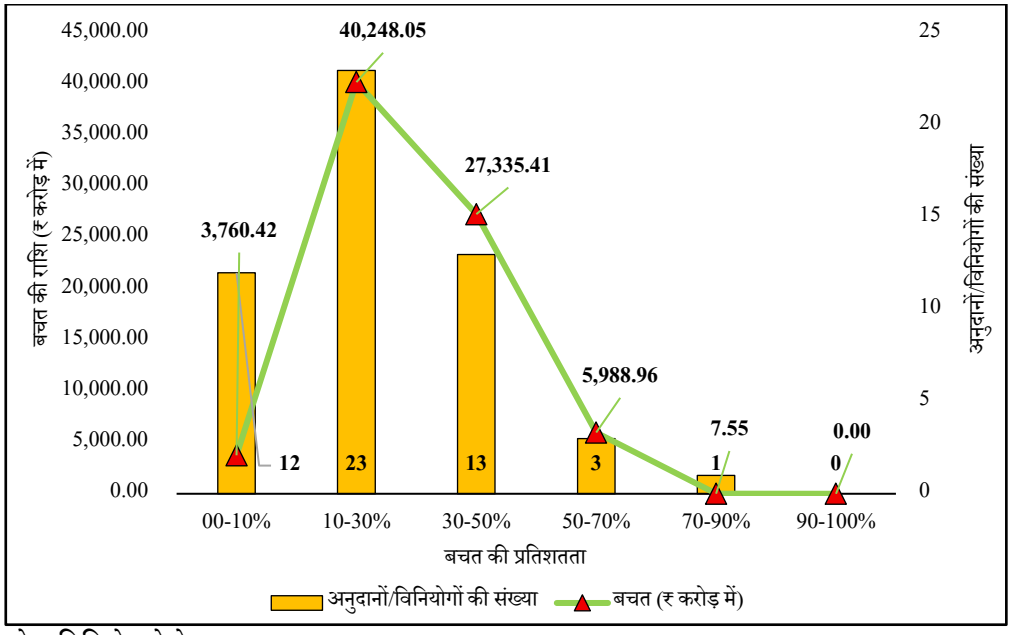

स्रोत: विनियोग लेखे 2024-25

चार्ट 2.5 दिखाता है कि 13 अनुदानों में ₹ 27,335.41 करोड़ (35.34 प्रतिशत) की बचत हुई थी, जिसमें उनके बजट प्रावधान का केवल 50 से 70 प्रतिशत का ही उपयोग किया जा सका था।

बचत का अभ्यर्पण

बिहार बजट मैन्युअल, 2016 के नियम 104 के अनुसार, बचत में से कोई भी राशि अतिरिक्त अनपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिए आरक्षित नहीं रखी जानी चाहिए, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले से ही अनुमोदित नहीं किया गया है। बचत का अभ्यर्पण चालू वित्त वर्ष के 15 फरवरी तक कर दिया जाना चाहिए। असाधारण मामलों में, अभ्यर्पण चालू वर्ष के 31 मार्च तक समर्पित किए जा सकते हैं।

कुल बचत ₹ 77,340.38 करोड़ में से ₹ 66,952.02 करोड़ (86.57 प्रतिशत) की महत्वपूर्ण एवं बड़ी राशि का अभ्यर्पण नहीं किया गया। इसमें से ₹ 33,435.29 करोड़ की बचत 18 अनुदानों के तहत हुई, परन्तु कोई भी अभ्यर्पण ***(परिशिष्ट 2.7)*** नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, ₹ 10,388.37 करोड़ के कुल अभ्यर्पण में से ₹ 822.64 करोड़ का अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन ***(परिशिष्ट 2.8)*** किया गया।

वित्त वर्ष के दौरान बचत और अभ्यर्पण के सारांश को **चार्ट 2.6** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.6: वर्ष 2024-25 में बचत और अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

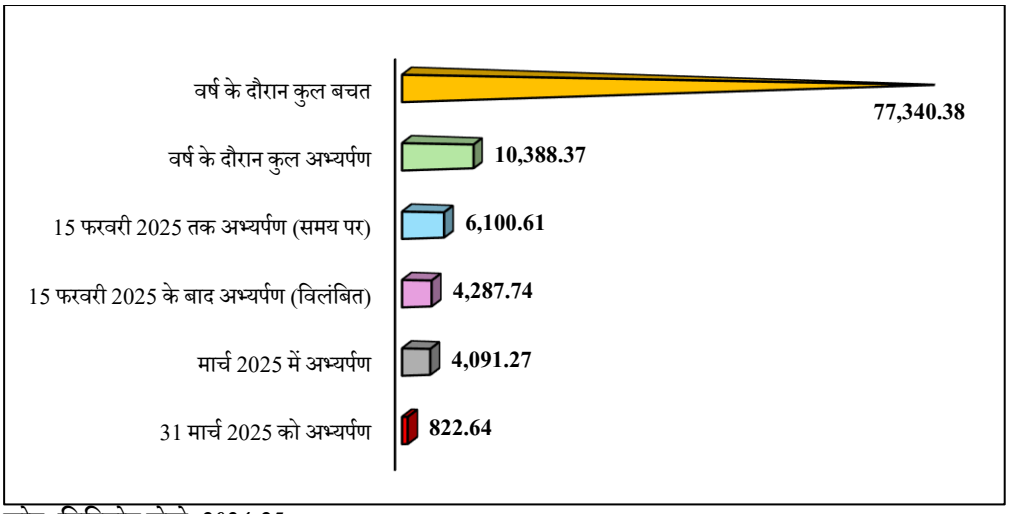

स्रोत: विनियोग लेखे, 2024-25

जैसा कि **चार्ट 2.6** से देखा जा सकता है, कुल बचत का केवल 13.43 प्रतिशत (₹ 10,388.37 करोड़) अभ्यर्पित किया गया था। अभ्यर्पण की गई राशि में से केवल ₹ 6,100.61 करोड़ (58.72 प्रतिशत) निर्धारित समय सीमा में अभ्यर्पित किए गए थे, जो खराब वित्तीय प्रबंधन और उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग नहीं किया जाना दर्शाता है।

2.5.5 राजस्व और पूंजीगत व्यय का गलत वर्गीकरण

सरकारी लेखे नियमावली, 1990 के नियम 30 के अनुसार, ठोस, भौतिक और स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के परिणामस्वरूप होने वाले व्यय को पूंजीगत व्यय में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अनुदान संख्या 37 (ग्रामीण कार्य विभाग) में शीर्ष 4515-00-103-0101-33-02 (मुआवजा) के तहत सब्सिडी के रूप में ₹ 100.00 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया था। प्रावधान की गई राशि में से, वर्ष के दौरान व्यय की गई ₹ 33.11 करोड़ राजस्व खंड के बजाय पूंजीगत खंड में दर्ज की गई थीं। इस गलत वर्गीकरण के कारण पूंजीगत व्यय में ₹ 33.11 करोड़ का अतिकथन एवं राजस्व व्यय में इतनी ही राशि का अवकथन हुआ।

2.5.6 चतुर्मासीय व्यय सीमा का पालन नही होना

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 62 (3) में प्रावधान है कि विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में व्यय की सघनता को वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है और इससे बचा जाना चाहिए।

राज्य सरकार ने चरणबद्ध तरीके से व्यय को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान व्यय के लिए चतुर्मास-वार[5] प्रतिशत सीमा भी निर्धारित की है।

चतुर्मास-वार व्यय का विवरण **तालिका 2.9** में दिखाया गया है और अनुदान वार व्यय का विवरण ***परिशिष्ट 2.9*** में दिया गया है।

[5] *आदेश संख्या एम-4-07/2023/3576-एफ दिनांक 01.04.2024: 33 प्रतिशत प्रथम चतुर्मास के लिए (अप्रैल-जुलाई); 32 प्रतिशत, द्वितीय चतुर्मास के लिए (अगस्त-नवंबर) और 35 प्रतिशत तृतीय चतुर्मास के लिए (दिसंबर-मार्च)।*

तालिका 2.9: वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान चतुर्मास वार व्यय की प्रवृति

(₹ करोड़ में)

अवधि	व्यय	कुल व्यय के सापेक्ष प्रतिशत व्यय
कुल	**2,81,939.30**[6]	**100.00**
प्रथम चतुर्मास	69,507.34	24.65
द्वितीय चतुर्मास	1,00,079.63	35.50
तृतीय चतुर्मास	1,12,352.33	39.85
वर्ष का आखिरी महीना (मार्च 2025)	38,229.06	13.56
वर्ष का आखिरी दिन (31 मार्च 2025)	**1,014.07**	**0.36**

स्रोत: कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार

जैसा कि **तालिका 2.9** से देखा जा सकता है, व्यय की राशि में प्रत्येक बीते हुए चतुर्मास के साथ वृद्धि हो रही थी, जिसके परिणामस्वरूप दूसरे और तीसरे चतुर्मास के दौरान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यय की सीमा का उल्लंघन हुआ।

मासिक व्यय की प्रवृत्ति **चार्ट 2.7** में दर्शायी गई है।

चार्ट 2.7: व्यय (माहवार) की प्रवृति का विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

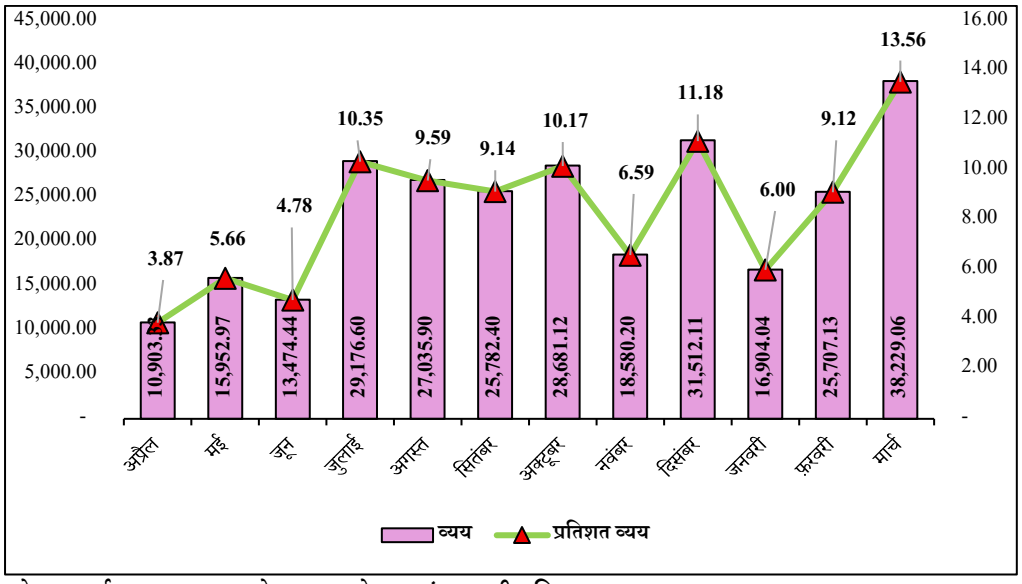

स्रोत: कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार

चार्ट 2.7 से यह देखा जा सकता है कि 2024-25 के दौरान अधिकतम व्यय अंतिम चतुर्मास (39.85 प्रतिशत) में किया गया था जो निर्धारित सीमा से बहुत अधिक था। यह भी देखा गया कि मार्च के अंतिम महीने में सबसे अधिक ₹ 38,229.06 करोड़ (13.56 प्रतिशत) का व्यय किया गया, जो वित्तीय वर्ष के इस खंड में व्यय की सघनता को दर्शाता है।

[6] *व्यय का आंकड़ा सकल व्यय का शुद्ध परिणाम है, जिसमें सभी वसूलियों, सी.ए.एम.पी.ए, एस.डी.आर.एफ. और सी.आर.एफ. निधि के समायोजन राशि ₹ 5,239.21 करोड़ घटा दी गई है।*

2.6 विधायी तंत्र से बाहर रखी गई अव्ययित निधियों की पार्किंग और वापसी

मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची (एल०एम०एम०एच०) के अंतर्गत सामान्य निर्देशों की कंडिका 3.10 अनुसार, विगत वर्षों से संबंधित अधिक भुगतान की वसूली को विनियोग लेखे में परिलक्षित सकल व्यय को प्रभावित किए बिना संबंधित मुख्य /उप-मुख्य शीर्ष के पश्चात् विशिष्ट लघु शीर्ष 'कटौती - अधिक भुगतान की वसूली' (कोड 911) के तहत दर्ज किया जाना चाहिए। 'अधिक भुगतान में अधिकाई भुगतान की वसूली', 'अधिक/अनपेक्षित निकासी की वापसी' और 'वेतन एवं अन्य अग्रिमों की वसूली' आदि शामिल हैं।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान, विगत वर्षों से संबंधित कुल ₹ 15,657.61 करोड़ लघु शीर्ष "911" के तहत सरकारी खाते में वापस किए गए। इस राशि में विगत वर्षों के दौरान जारी किए गए '*अधिक*/अनपेक्षित निकासी की वापसी' से संबंधित ₹ 14,571.15 करोड़ (कुल वापसी/वसूली का 93.06 प्रतिशत) शामिल है, जैसा कि **तालिका 2.10** में दिखाया गया है।

तालिका 2.10: 2020-21 से 2024-25 के दौरान लघु शीर्ष -911 के तहत वर्षवार वापसी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अधिक/अनपेक्षित निकासी की वापसी	अधिक भुगतान की वसूली	कुल
2020-2021	1,860.32	225.58	2,085.90
2021-2022	848.49	118.84	967.33
2022-2023	2,905.52	196.16	3,101.68
2023-2024	6,712.66	384.92	7,097.58
2024-2025	2,244.16	160.96	2,405.12
कुल	**14,571.15**	**1,086.46**	**15,657.61**

स्रोत: कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार

तालिका 2.10 इंगित करती है कि इस प्रकार ₹ 14,571.15 करोड़ वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक निकाले गए थे और केवल आगामी वित्तीय वर्षों में ही वापसी/वापस किए गए थे। चूंकि ये राशियाँ पीडी/पीएल के साथ-साथ बैंक खातों में भी रखी जाती थीं और इसलिए वे विधायी नियंत्रण के दायरे से बाहर थी। इस तरह की प्रवृतियाँ न केवल वास्तविक व्यय के आंकड़ों को विकृत करती हैं, बल्कि आहरण के वर्ष में राजस्व व्यय और राजस्व घाटे दोनों को बढ़ाती हैं एवं अंतरिम अवधि के दौरान सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और गबन के जोखिम को भी बढ़ाती हैं।

2.7 एकल नोडल एजेंसी (एस०एन०ए०)

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 232 (v) में राज्य सरकारों को निधि जारी करने और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पी०एफ०एम०एस०) के माध्यम से निधि के उपयोग की निगरानी करने का प्रावधान है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सी०एस०एस०) के तहत राज्यों को विमुक्त की गई निधियों की उपलब्धता और उपयोग की बेहतर निगरानी के लिए, व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय, भारत सरकार) ने दिनांक 23 मार्च 2021 को कार्यालय ज्ञापन संख्या 1 (13) पी०एफ०एम०एस०/एफसीडी/2020 के माध्यम से सी०एस०एस० के तहत धन के प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश जारी किए। संशोधित प्रक्रिया, जिसे "एस०एन०ए० मॉडल" के रूप में जाना जाता है, 01 जुलाई 2021 से प्रभावी हुई।

इस बीच, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक सी०एस०एस० के लिए एक एकल नोडल एजेंसी (एस०एन०ए०) के माध्यम से धन जारी करना और उनके उपयोग की निगरानी करना (मार्च 2021) अनिवार्य

कर दिया गया। प्रत्येक एस०एन०ए० के लिए किसी भी अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में एक समर्पित बैंक खाता होना चाहिए। राज्य सरकार को एस०एन०ए० से सम्बद्ध खाते में, प्राप्त केन्द्रांश के साथ निश्चित राज्यांश, की राशि अंतरित करना होता है।

एस०एन०ए० के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, बिहार में इसके कार्यान्वयन की स्थिति और पी०एफ०एम०एस० डैशबोर्ड पर उपलब्ध 2024-25 के आंकड़े (16.08.2025 तक), से निम्नलिखित देखा गया:

- राज्य में कुल 156 एजेंसियों को एस०एन०ए० के रूप में पंजीकृत किया गया था। इन एजेंसियों में कुल 1,76,950 अनुषंगी एजेंसियां थीं, जिन्हें पी०एफ०एम०एस० में मैप किया गया था।

- 1 अप्रैल 2024 तक, सी०एस०एस० निधियों से संबंधित एस०एन०ए० में प्रारंभिक शेष ₹ 14,738.13 करोड़ था। 2024-25 के दौरान, सी०एस०एस० के लिए केन्द्रांश के ₹ 20,772.99 करोड़ प्राप्त हुए, जिसमें से ₹ 20,331.70 करोड़ राज्य द्वारा एस०एन०ए० को अंतरित किए गए। राज्य द्वारा सी०एस०एस० के लिए एस०एन०ए० को कुल ₹ 35,126.41 करोड़ (भारत सरकार: ₹ 20,331.70 करोड़, बिहार सरकार : ₹ 14,794.71 करोड़ बिहार सरकार द्वारा टॉप-अप की राशि सहित) अंतरित किए गए। इस प्रकार, राज्य द्वारा प्राप्त केन्द्रांश की राशि से ₹ 441.29 करोड़ का कम अंतरण किया गया था। एस०एन०ए० में ₹ 49,864.54 करोड़ की इन कुल उपलब्ध निधियों में से ₹ 38,101.83 करोड़ सी०एस०एस०के लिए व्यय के रूप में और ₹ 480.46 करोड़ अग्रिम के रूप में वितरित किए गए, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11,282.25 करोड़ अव्ययित रहे। हालांकि, सी०एस०एस० (पी०एफ०एम०एस० डैशबोर्ड के अनुसार) के लिए एस०एन०ए० का अन्तशेष ₹ 12,760.66 करोड़ था, जो वास्तविक अन्तशेष और प्रतिवेदित किए गए अन्तशेष के आंकड़ों बीच ₹ 1,478.41 करोड़ का अंतर दर्शाता है, जिसका समाशोधन करने की आवश्यकता है।

- 31 मार्च 2025 तक, एस०एन०ए० के बैंक खातों में ₹ 12,760.66 करोड़ की अव्ययित राशि थी। इन निधियों पर कुल अर्जित ब्याज की राशि ₹ 1,291.87 करोड़ थी। ब्याज के आनुपातिक केन्द्रांश की राशि ₹ 748.11 करोड़ के मुकाबले ₹ 543.57 करोड़ भारत की संचित निधि में जमा /निपटान किए गए थे और शेष ₹ 204.54 करोड़ अभी भी जमा/निपटान किए जाने थे।

- राज्य को सी०एस०एस० योजनाओं में प्राप्त केन्द्रांश के समानुपातिक राज्यांश के साथ 30 दिनों के भीतर एस०एन०ए० में अंतरित करना था। विलंब के मामले में, विलंब की अवधि के लिए सात प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगाया जाना था। 2024-25 के दौरान, राज्य के कोष से संबंधित एस०एन०ए० में केन्द्रांश और राज्यांश की राशि को अंतरित करने में क्रमशः 167 दिन और 246 दिनों तक का विलंब हुआ, जिससे राज्य के कोष पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा।

लेखापरीक्षा ने प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के केन्द्रांश और राज्यांश के अंतरण के आंकड़े और एस०एन०ए०- पी०एफ०एम०एस० प्रतिवेदन पटल पर उपलब्ध जानकारी में विसंगतियाँ पाई, जैसा कि **तालिका 2.11** में उल्लेख किया गया है।

तालिका 2.11: 2024-25 के दौरान केन्द्रांश एवं राज्यांश के अंतरण में विसंगतियां

(₹ करोड़ में)

आंकड़ों का स्रोत	प्राप्त केन्द्रांश	अंतरित केन्द्रांश	अंतरित राज्यांश	कुल अंतरित राशि	राज्य द्वारा कम अंतरित राशि
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	29,948.47	22,767.69	28,416.42	51,184.11	अनुपलब्ध
एस०एन०ए०-पी०एफ०एम०एस० प्रतिवेदन	20,772.99	20,331.70	14,794.71	35,126.41	441.29
अंतर	**9,175.48**	**2,435.99**	**13,621.71**	**16,057.70**	अनुपलब्ध

आंकड़ों में यह विसंगति महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार के कार्यालय और बिहार सरकार के वित्त विभाग के बीच समाशोधन के अधीन है।

2.8 चयनित अनुदानों की समीक्षा

निधियों के प्रवाह और व्यय तरीका का गहन विश्लेषण करने के लिए चयनित अनुदानों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस समीक्षा का उद्देश्य बजट सूत्रण, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण और वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों की गुणवत्ता का आकलन करना था। समीक्षा का उद्देश्य वित्तीय शासन को मजबूत करने और सार्थक अंतर्दृष्टि प्रदान करने के उद्देश्य से प्रणालीगत कमजोरियों, निधि उपयोग में अक्षमताओं, गलत वर्गीकरण और बजटीय अनुशासनहीनता के उदाहरणों की पहचान करना था।

तदनुसार, दो अनुदानों, अर्थात अनुदान संख्या 35 "योजना और विकास विभाग" और अनुदान संख्या 48 "नगर विकास एवं आवास विभाग" के लिए प्रावधान, व्यय, बचत और अभ्यर्पण की विस्तृत जांच की गई।

उपर्युक्त दो अनुदानों के वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के प्रावधान और व्यय विवरण **तालिका 2.12** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.12: चयनित अनुदानों के तहत बजट, व्यय, बचत, प्रत्यर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	विभाग	कुल बजट	व्यय	बचत	प्रत्यर्पण
35	योजना एवं विकास	12,058.16	8,426.23	3,631.94	412.42
48	नगर विकास एवं आवास	59,033.34	37,016.29	22,017.06	2,987.63

स्रोत: विनियोग लेखे एवं प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार का कार्यालय

तालिका 2.12 में उल्लिखित चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम परवर्ती कंडिकाओं में विस्तारपूर्वक दिये गए हैं।

2.8.1 अनुदान संख्या 35 "योजना एवं विकास विभाग"

योजना एवं विकास विभाग (पीडीडी) वित्त विभाग के समानांतर अथवा उसके सहयोग से राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की योजनाओं और विकास पहलों की योजना निर्माण, कार्यान्वयन, नीति निर्धारण, निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी है। विभाग बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास एजेंसी (बीएलएडीए) और स्थानीय क्षेत्र इंजीनीयरिंग संगठन (एलएईओ) के माध्यम से मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना (एमकेवीवाई), सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीलैड) और अन्य योजनाओं को लागू करता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान इस अनुदान के तहत कुल 12 मुख्य लेखा शीर्ष (राजस्व: 08 और पूँजीगत: 04) संचालित किए गए।

2.8.1.1 बजट प्रबंधन

i बजट प्रावधान एवं उनका उपयोग

विगत पांच वित्तीय वर्षों के लिए उक्त अनुदान के तहत बजट प्रावधानों, वास्तविक संवितरण और बचत / आधिक्य की समग्र स्थिति **तालिका 2.13** में दर्शायी गई है।

तालिका 2.13: वित्त वर्ष 2020-25 के दौरान बजटीय प्रावधान एवं उनका उपयोग

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	खंड	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	व्यय	बचत	कुल बजट के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता
2020-21	राजस्व	811.90	3.01	814.91	485.34	329.57	40.44
	पूँजीगत	1,289.66	90.00	1,379.66	735.60	644.06	46.68
	योग	**2,101.56**	**93.01**	**2,194.57**	**1,220.94**	**973.63**	**44.37**
2021-22	राजस्व	852.93	10.65	863.58	532.10	331.48	38.38
	पूँजीगत	1,345.47	321.82	1,667.29	1,367.11	300.18	18.00
	योग	**2,198.40**	**332.47**	**2,530.87**	**1,899.21**	**631.66**	**24.96**
2022-23	राजस्व	903.66	41.35	945.01	725.93	219.08	23.18
	पूँजीगत	1,284.16	10.00	1,294.16	1,117.60	176.56	13.64
	योग	**2,187.82**	**51.35**	**2,239.17**	**1,843.53**	**395.64**	**17.67**
2023-24	राजस्व	868.47	2.45	870.92	645.51	225.41	25.88
	पूँजीगत	1,348.51	318.00	1,666.51	1,444.61	221.90	13.32
	योग	**2,216.98**	**320.45**	**2,537.43**	**2,090.12**	**447.31**	**17.63**
2024-25	राजस्व	601.00	192.66	793.66	443.47	350.19	44.12
	पूँजीगत	1,615.48	0.00	1,615.48	1,386.46	229.02	14.18
	योग	**2,216.48**	**192.66**	**2,409.14**	**1,829.93**	**579.21**	**24.04**
राजस्व योग		**4,037.96**	**250.12**	**4,288.08**	**2,832.35**	**1,455.73**	**33.95**
पूँजीगत योग		**6,883.28**	**739.82**	**7,623.10**	**6,051.38**	**1,571.72**	**20.62**
महायोग		**10,921.24**	**989.94**	**11,911.18**	**8,883.73**	**3,027.45**	**25.42**

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

ii अनुदान में सतत् बचत

लेखापरीक्षा में विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न लेखा शीर्षों में सतत् बचत के मामले पाए गए। वर्ष 2024-25 के दौरान कुल बजट के 50 प्रतिशत से अधिक की बचत का विवरण **तालिका 2.14** में प्रदर्शित है।

तालिका 2.14: विभिन्न लेखा शीर्षों के तहत 50 प्रतिशत से अधिक की सतत् बचत

(₹ करोड़ मे एवं प्रतिशतता कोष्ठक मे)

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	लेखा शीर्ष का नाम	2022-23	2023-24	2024-25
1	2235-01-202-0505	आपातकालीन कोसी बाढ़ पुनर्वास परियोजना (विश्व बैंक संपोषित)	41.05 (15.00)	36.63 (18.77)	38.72 (100.00)
2	2235-01-789-0501	आपातकालीन कोसी बाढ़ पुनर्वास परियोजना (विश्व बैंक संपोषित)	14.18 (15.00)	15.37 (18.77)	48.28 (100.00)
3	4070-00-051-0210	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)	47.34 (88.32)	54.47 (100.00)	54.30 (100.00)
4	4070-00-051-0310	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)	18.96 (88.35)	34.54 (100.00)	21.72 (100.00)
5	4070-00-789-0302	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)	12.63 (88.32)	16.95 (100.00)	14.48 (100.00)
6	2052-00-090-0103	योजना यंत्र का सुदृढीकरण	0.88 (88.00)	0.54 (27.00)	21.96 (95.69)
7	3454-02-205-0102	भारत सांख्यिकी सुदृढीकरण परियोजना	14.45 (65.68)	24.24 (70.51)	22.95 (94.48)
8	4515-00-102-0203	वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) जिलों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए)	61.62 (61.62)	72.50 (72.50)	94.36 (93.00)
9	2235-60-200-0120	बिहार मंदिर चहारदीवारी निर्माण निधि योजना 2015 (गृह विभाग के लिए)	16.59 (66.36)	11.54 (46.16)	12.84 (51.36)
10	3454-02-205-0101	एकीकृत सांख्यिकीय विकास योजना	10.15 (14.79)	37.15 (58.06)	33.49 (51.28)

स्रोत: संबंधित वर्षों के विस्तृत विनियोग लेखे
कोष्ठक में आंकड़े कुल बजट प्रावधान के प्रतिशत को दर्शाते हैं

जैसा कि **तालिका 2.14** मे देखा जा सकता है, लेखा शीर्ष - सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में सर्वाधिक 100 प्रतिशत तक सतत् बचत थी, जो इन योजनाओं के तहत अनुचित अनुमान या संबंधित वर्षों के दौरान अनुमानित वित्तीय परिव्यय की उपलब्धि प्राप्त नहीं होने का संकेत देता है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अलावा, 'योजना यंत्र का सुदृढीकरण', 'भारत सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना' और 'वामपंथी उग्रवाद प्रभावित (एलडब्ल्यूई) जिलों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए)' में 2022-23 से 2024-25 के दौरान सर्वाधिक सतत् बचत हुई।

iii निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

यह देखा गया कि वर्ष 2024-25 के दौरान 10 लेखा शीर्षों (एचओए) के तहत ₹ 12.64 करोड़ के प्रावधान पुनर्वनियोजित किए गए थे। इनमें से दो एचओए में, महत्वपूर्ण पुनर्विनियोजन अनावश्यक साबित हुए, क्योंकि व्यय मूल बजट प्रावधानों के स्तर तक नहीं पहुंचा, जैसा कि **तालिका 2.15** में दिखाया गया है।

तालिका 2.15: निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	लेखा शीर्ष (विवरण)	मूल बजट	अनुपूरक बजट	पुनर्विनियोजन	व्यय
1	3454-02-205-0101 – एकीकृत सांख्यिकीय विकास योजना (राज्य योजना)	38.81	26.50	4.95	31.82
2	3454-02-205-0102 - भारत सांख्यिकी सुदृढीकरण परियोजना (राज्य योजना)	24.29	0.00	6.07	1.34
कुल		**63.10**	**26.50**	**11.02**	**33.16**

स्रोत: विनियोग लेखे, 2024-25

अनावश्यक पुनर्विनियोजन यह इंगित करता है कि विभाग ने, निधि की वास्तविक आवश्यकता का उचित आकलन किए बिना पुनर्विनियोजन का प्रावधान किया।

iv अनुपूरक बजट का अनावश्यक प्रावधान

वर्ष 2024-25 के दौरान, छः लेखा शीर्षों के तहत कुल मूल बजट₹ 228.49 करोड़ था, जिसे अनुपूरक बजट के माध्यम से ₹ 77.29 करोड़ से बढ़ाया गया था। हालांकि, इन लेखा शीर्षों के तहत व्यय (₹ 175.55 करोड़) मूल बजट प्रावधानों तक नहीं पहुंचा और ₹ 77.29 करोड़ का अनुपूरक बजट अनावश्यक साबित हुआ। विवरण **तालिका 2.16** में दिया गया है।

तालिका 2.16: अनावश्यक अनुपूरक बजट के मामले

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	लेखा शीर्ष	मूल बजट	अनुपूरक बजट	व्यय
1	2052-00-090-0103	2.00	20.95	0.99
2	2235-60-200-0117	167.10	24.50	124.60
3	3451-00-101-0001	6.23	0.19	5.51
4	3454-02-111-0001	13.55	0.15	12.32
5	3454-02-204-0119	0.80	5.00	0.31
6	3454-02-205-0101	38.81	26.50	31.82
	कुल	**228.49**	**77.29**	**175.55**

स्रोत: विनियोग लेखे, 2024-25

ऊपर से पता चलता है कि वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना अनुपूरक बजट के प्रस्ताव रखे गए थे।

v समग्र प्रावधान का अनुपयोगित रहना

यह देखा गया कि वर्ष 2024-25 के दौरान विभाग में, छः लेखा शीर्षों के तहत ₹ 178.50 करोड़ का समग्र बजटीय प्रावधान अनुपयोगित रहा, जैसा कि **तालिका 2.17** में विस्तारपूर्वक दिया गया है।

तालिका 2.17: वर्ष 2024-25 में समग्र बजट प्रावधानों के अनुपयोगित रहने के मामले

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	लेखा शीर्ष	लेखा शीर्षों के नाम	2024-25
1.	2059-01-053-0024	मेला, हाट, बाज़ार और कचहरी के भवनों का रख-रखाव	1.00
2.	2235-01-202-0505	आपातकालीन कोसी बाढ़ पुनर्वास परियोजना (विश्व बैंक संपोषित)	38.72
3.	2235-01-789-0501	आपातकालीन कोसी बाढ़ पुनर्वास परियोजना (विश्व बैंक संपोषित)	48.28
4.	4070-00-051-0210	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)	54.30
5.	4070-00-051-0310	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)	21.72
6.	4070-00-789-0302	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)	14.48
	योग		**178.50**

स्रोत: विनियोग लेखे, 2024-25

इन योजनाओं के तहत समग्र बजट प्रावधानों का अनुपयोगित रहना या वर्ष 2024-25 के दौरान अनुमानित वित्तीय परिव्यय की उपलब्धि प्राप्त नहीं होना, अनुचित आकलन को दर्शाता है। अनावश्यक प्रावधान, बजटीय प्रावधानों की तैयारी मे कमी को दर्शाता है, जिसके लिए संस्था के आवश्यक जांच को अधिक सख्ती से स्थापित करने की आवश्यकता है।

vi बचतों का अनभ्यर्पण

विगत पांच वर्षों के दौरान अनुदान के राजस्व और पूंजीगत खण्ड के तहत बचत और अभ्यर्पण से संबंधित आकड़ों का लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषण किया गया। विश्लेषण के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2020-25 के दौरान, विभाग ने अपनी कुल बचत (₹ 1,455.74 करोड़) का केवल 19.39 प्रतिशत (₹ 282.28 करोड़) अभ्यर्पित किया, वह भी केवल राजस्व खंड के तहत जबकि पूंजीगत खंड के तहत ₹ 1,571.72 करोड़ की बचत बिल्कुल भी अभ्यर्पित नहीं की गई। विवरण **तालिका 2.18** में दिया गया है।

तालिका 2.18: विगत पांच वर्षों में राजस्व और पूंजीगत खंडों के तहत बचतों के अनभ्यर्पण का बजटीय विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	राजस्व			पूँजीगत			अनभ्यर्पण की कुल प्रतिशतता
	बचत	अभ्यर्पण	अनभ्यर्पण का प्रतिशत	बचत	अभ्यर्पण	अनभ्यर्पण का प्रतिशत	
2020-21	329.57	160.51	51.30	644.06	0.00	100	83.51
2021-22	331.49	20.99	93.67	300.18	0.00	100	96.68
2022-23	219.08	31.65	85.55	176.56	0.00	100	92.00
2023-24	225.41	47.41	78.97	221.90	0.00	100	89.40
2024-25	350.19	21.72	93.80	229.02	0.00	100	96.25
कुल	**1,455.74**	**282.28**	**80.61**	**1,571.72**	**0.00**	**100**	**90.68**

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

इस तरह के अनभ्यर्पण बजटीय प्रबंधन पर कमजोर नियंत्रण को दर्शाते हैं। तुलनात्मक रूप से कम अभ्यर्पण के साथ अधिक बचत वित्तीय अनुशासन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

vii अन्य मामले

- **राज्य बजट के साथ सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का संरेखन नहीं किया जाना** - एसडीजी के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग होने के नाते, विभाग ने 2017 में एक परिकल्पना दस्तावेज़ तैयार किया। हालाँकि, राज्य बजट में एसडीजी के साथ कोई योजना संरेखित नहीं की गई थी।

  विभाग ने (अगस्त 2025) जवाब दिया कि एसडीजी संरेखित बजट की प्रक्रिया अभी शुरू होनी है।

  विभाग का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि बजट में योजनाओं का एसडीजी के साथ संरेखण के बिना, एसडीजी संकेतकों की उपलब्धि का पता नहीं लगाया जा सकता है।

- ₹ 275.47 करोड़ के कुल 191 सार आकस्मिक (एसी) विपत्र, जो सितम्बर 2024 तक आहरित किए गए थे, 31 मार्च 2025 तक बकाया थे।

- 31 मार्च 2025 को ₹ 144.65 करोड़ (सितंबर 2023 तक वितरित) की कुल 14 उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) समायोजन के लिए बकाया थे।

2.8.2 अनुदान संख्या-48 "नगर विकास एवं आवास विभाग"

बिहार सरकार का नगर विकास एवं आवास विभाग (न०वि० एवं आ०वि०), राज्य के शहरों और कस्बों की समुचित एवं नियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए नोडल विभाग है। यह नगर निकायों और अर्ध-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से नागरिकों को पर्याप्त बुनियादी ढांचा, सुविधाएं और सेवाएँ प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार है। फरवरी 2025 तक, बिहार में कुल 261 नगर निकाय (19 नगर निगम, 88 नगर परिषद और 154 नगर पंचायत) थे।

इस अनुदान के तहत, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 10 मुख्य शीर्ष (राजस्व: 06 और पूंजीगत: 04) संचालित किए गए थे।

2.8.2.1 बजटीय प्रबंधन

i बजट प्रावधान एवं उनका उपयोग

विगत पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान, इस अनुदान के राजस्व और पूंजीगत खंडों के तहत मूल बजट, अनुपूरक बजट और कुल बजट के साथ-साथ किए गए व्यय और हुई बचतों का विवरण **तालिका 2.19** में दिया गया है।

तालिका 2.19: 2020-25 की अवधि के दौरान बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	खंड	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	व्यय	बचत	कुल बजट के सापेक्ष बचत का प्रतिशत
2020-21	राजस्व	7,163.72	2,179.48	9,343.20	5,590.39	3,752.81	40.17
	पूंजीगत	50.00	200.00	250.00	50.00	200.00	80.00
	योग	**7,213.72**	**2,379.48**	**9,593.20**	**5,640.39**	**3,952.81**	**41.20**

वित्तीय वर्ष	खंड	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	व्यय	बचत	कुल बजट के सापेक्ष बचत का प्रतिशत
2021-22	राजस्व	7,617.13	2,414.49	10,031.62	5,883.84	4,147.78	41.35
	पूंजीगत	150.00	1,400.00	1,550.00	1,057.58	492.42	31.77
	योग	**7,767.13**	**3,814.49**	**11,581.62**	**6,941.42**	**4,640.20**	**40.07**
2022-23	राजस्व	8,025.94	1,950.47	9,976.41	5,582.06	4,394.35	44.05
	पूंजीगत	150.00	814.00	964.00	964.00	0.00	0.00
	योग	**8,175.94**	**2,764.47**	**10,940.41**	**6,546.06**	**4,394.35**	**40.17**
2023-24	राजस्व	9,594.15	10,119.93	19,714.08	14,123.88	5,590.20	28.36
	पूंजीगत	115.00	694.00	809.00	620.00	189.00	23.36
	योग	**9,709.15**	**10,813.93**	**20,523.08**	**14,743.88**	**5,779.20**	**28.16**
2024-25	राजस्व	11,184.22	3,924.64	15,108.86	9,385.81	5,723.05	37.88
	पूंजीगत	114.50	750.00	864.50	618.62	245.88	28.44
	योग	**11,298.72**	**4,674.64**	**15,973.36**	**10,004.43**	**5,968.93**	**37.37**
राजस्व योग		**43,585.16**	**20,589.01**	**64,174.17**	**40,565.98**	**23,608.19**	**36.79**
पूंजीगत योग		**579.50**	**3,858.00**	**4,437.50**	**3,310.20**	**1,127.30**	**25.40**
महायोग		**44,164.66**	**24,447.01**	**68,611.67**	**43,876.18**	**24,735.49**	**36.05**

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

तालिका 2.19 से यह देखा जा सकता है कि विगत पांच वर्षों के दौरान:

- पूंजीगत खंड के तहत मूल बजट कम था, लेकिन ₹ 3,858 करोड़ के अनुपूरक बजट के माध्यम से इसे (छह गुना से अधिक) बढ़ाया गया, जिससे कुल बजट संशोधित होकर ₹ 4,437.50 करोड़ तक पहुंच गया। हालांकि, कुल बजट के मुकाबले केवल ₹ 3,310.20 करोड़ (74.60 प्रतिशत) का ही व्यय किया गया था।
- यह भी देखा गया कि ₹ 3,858.00 करोड़ के कुल अनुपूरक बजट में से ₹ 3,783.00 करोड़ (98 प्रतिशत) वर्ष 2020-25 के दौरान पटना मेट्रो रेल परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रावधानित किए गए थे, जो बजट प्रक्रिया के दौरान बुनियादी ढांचा निर्माण के लिए योजना की कमी को दर्शाता है।
- यद्यपि राजस्व खंड के कुल मूल बजट में 47 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी, लेकिन व्यय फिर भी मूल बजट से कम रहा।

उपरोक्त तथ्य बजट अनुमान में कमियों और अनुपूरक बजट के माध्यम से आवश्यक अतिरिक्त धनराशि के आकलन में त्रुटियों को दर्शाते हैं, जिसके कारण बड़ी बचत हुई।

ii बजट अनुमानों की तैयारी एवं उनका उपयोग

वर्ष 2024-25 के लिए, नगर विकास एवं आवास विभाग ने योजना एवं विकास विभाग (यो०एवं वि०वि०) को 34 लेखा शीर्षों के तहत केंद्रीय/राज्य योजनाओं के लिए ₹ 19,645.23 करोड़ का बजट अनुमान प्रस्तावित किया था। बाद में यो०एवं वि०वि० द्वारा निर्धारित परिव्यय के कारण विभाग के प्रस्तावित बजट अनुमान को घटाकर ₹ 6,066.17 करोड़ (69 प्रतिशत की कमी) कर दिया गया। इसके बावजूद, 2024-25 के दौरान विभाग ने उक्त 34 लेखा शीर्षों के तहत केवल ₹ 3,204.42 करोड़ (प्रस्तावित बजट का 16 प्रतिशत एवं घटे हुए बजट का

53 प्रतिशत) का व्यय किया। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि 34 लेखा शीर्षों में से 12 लेखा शीर्षों (सात निश्चय[7]: 02, सी०एस०एस०: 03[8] और एस०एस०: 07[9]) में ₹ 569.00 करोड़ के प्रावधान के बावजूद कोई भी व्यय नहीं किया गया था।

केंद्रीय/राज्य योजनाओं के 34 लेखा शीर्षों के प्रस्तावित बजट अनुमान, संशोधित बजट अनुमान और किए गए व्यय का सारांश **तालिका 2.20** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.20: वर्ष 2024-25 में केंद्रीय/राज्य योजनाओं के 34 लेखा शीर्षों के तहत प्रस्तावित बजट अनुमान (बीई), संशोधित बजट अनुमान बनाम वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	योजना	लेखा शीर्षों की संख्या	प्रस्तावित बजट अनुमान	विभाग द्वारा प्रस्तावित संशोधन के उपरांत बजट अनुमान	व्यय
1	सात निश्चय	7	6,200.00	700.00	408.69
2	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ (केन्द्रांश)	7	4,015.26	4,015.26	796.46
	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ (राज्यांश)		4,064.47	816.79	834.70
3	राज्य योजनाएँ	20	5,365.50	534.12	1,164.57
		34	**19,645.23**	**6,066.17**	**3,204.42**

स्रोत: नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा दी गई सूचना

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- विभाग ने 'अमृत 2.0' योजना में ₹ 1,382 करोड़ के बजट अनुमान (केन्द्रांश: ₹ 1,172 करोड़ और राज्यांश: ₹ 210 करोड़) के मुकाबले केवल ₹ 0.73 करोड़ का उपयोग किया।
- वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों में केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं एवं राज्य योजनाओं के लिए विभाग ने अनुसूचित जाति विशेष योजना के लिए ₹ 970.59 करोड़ (केन्द्रांश: ₹ 791.80 करोड़, राज्यांश: ₹ 13.79 करोड़ और राज्य योजना: ₹ 165 करोड़) और अनुसूचित जनजाति विशेष योजना घटकों के लिए ₹ 78.86 करोड़ (केन्द्रांश: ₹ 30.86 करोड़, राज्यांश: ₹ 3 करोड़ और राज्य योजना: ₹ 45 करोड़) का प्रावधान किया था। हालाँकि, विभाग ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विशेष योजनाओं के घटकों के लिए क्रमशः केवल ₹ 291.58 करोड़ (30 प्रतिशत) और ₹ 43.20 करोड़ (55 प्रतिशत) का ही उपयोग किया।

iii महत्वपूर्ण एवं सतत् बचत

वर्ष 2024-25 के दौरान, इस अनुदान के तहत केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी, स्वच्छ भारत मिशन 2.0, स्मार्ट सिटी मिशन और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन) से संबंधित 42 लेखा शीर्षों

---

[7] *यह राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विकास पहलों की एक श्रृंखला है, जो व्यापक विकास के लिए सात प्रमुख क्षेत्रों (सात निश्चयों) पर केंद्रित है।*

[8] *(i) अमृत 2.0, (ii) झीलों का सौंदर्यीकरण एवं (iii) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन*

[9] *(i) निगरानी/मूल्यांकन/पर्यवेक्षण/संसाधन केंद्र की स्थापना और शहरी नियोजन, (ii) बिहार राज्य आवास बोर्ड का सुदृढ़ीकरण, (iii) नगर विकास भवन का निर्माण, (iv) आवारा कुत्तों की आबादी के नियंत्रण हेतु बुनियादी ढांचा, (v) मोइनुल हक स्टेडियम, पटना का निर्माण, (vi) शहरी नियोजन क्षेत्र योजना और (vii) एनएचबी सहायता प्राप्त राज्य योजनाएं- राज्य घटक (मोक्षधाम का निर्माण, स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज, पेयजल आपूर्ति योजनाएं)।*

में महत्वपूर्ण बचत देखी गई। केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के घटकों के तहत हुई बचत का सारांश **तालिका 2.21** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.21: वर्ष 2024-25 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत हुई बचत का सारांश

(₹ करोड़ में)

योजना का प्रकार	कुल बजट	बचत	प्रतिशत में बचत	नगर आवास एवं विकास विभाग के कुल बचत के सापेक्ष प्रतिशत
केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रांश)	4,189.51	3,390.36	81	57
केन्द्रीय प्रायोजित योजना (राज्यांश)	1,415.79	574.42	41	10
कुल	**5,605.30**	**3,964.78**	**71**	**66**

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे, 2024-25

इसके अलावा, वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान स्थापना एवं प्रतिबद्ध, केन्द्रीय प्रायोजित योजना एवं राज्य योजना से संबंधित आठ लेखा शीर्षों में सतत् एवं महत्वपूर्ण बचत देखी गई, जैसा कि **तालिका 2.22** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.22: 2022-23 से 2024-25 के दौरान महत्वपूर्ण सतत् बचत

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष - योजना का नाम	2022-23		2023-24		2024-25	
		बचत	बचत प्रतिशत	बचत	बचत प्रतिशत	बचत	बचत प्रतिशत
1	48-2217801910017 स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यों के लिए नगर निगमों को 15वें वित्त आयोग से सहायता अनुदान	95.00	100.00	92.87	100.00	100.55	100.00
2	48-2217801910010 प्राथमिक कार्यों के लिए नगर निगमों को 15वें वित्त आयोग से सहायता अनुदान	286.07	31.00	670.90	43.00	122.88	8.00
3	48-2217801930001 प्राथमिक कार्यों के लिए नगर पंचायतों को 15वें वित्त आयोग से सहायता अनुदान	219.16	56.00	90.43	21.00	315.60	48.00
4	48-2217017890205 सब के लिए आवास (के0यो0)	48.00	100.00	90.88	74.00	150.00	100.00
5	48-2217030510203 सब के लिए आवास (के0यो0)	23.51	12.00	131.80	22.00	1,016.19	89.00
6	48-2217037890205 सब के लिए आवास (अ०जा०उ०यो०)	144.00	100.00	35.26	25.00	596.32	93.00
7	48-2217050010008 एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन	58.14	50.00	72.09	59.00	106.73	71.00
8	48-2217031910113 भूमि अधिग्रहण (राज्य योजना)	165.24	73.00	97.16	97.00	163.82	40.00

स्रोत: संबंधित वर्षों के विस्तृत विनियोग लेखे

वर्ष दर वर्ष होने वाली सतत् और महत्वपूर्ण बचत, त्रुटिपूर्ण बजट अनुमान और खराब निगरानी को दर्शाती है, जिसके कारण बजट अनुमानों में संशोधन करना पड़ता है।

अनुरोध किए जाने के बावजूद, विभाग द्वारा इन आठ लेखा शीर्षों के तहत हुई बचत के कारण उपलब्ध नहीं कराये गये।

iv अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

यह देखा गया कि वर्ष 2024-25 के दौरान सात लेखा शीर्षों (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक) में दिए गए महत्वपूर्ण अनुपूरक अनुदान अप्रयुक्त रहे, क्योंकि इन लेखा शीर्षों के तहत किया गया व्यय मूल बजट तक भी नहीं पहुँच सका। अनुपूरक अनुदानों के अप्रयुक्त रहने के मामलों को **तालिका 2.23** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.23: अप्रयुक्त अनुपूरक अनुदान के मामले
(प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष लेखा शीर्ष का विवरण	मूल बजट	व्यय	अनुपूरक बजट	बचत
1	48-2217801930001 वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राथमिक कार्यों के लिए नगर पंचायतों को सहायता अनुदान	451.64	347.64	211.60	315.60
2	48-2217030510303 नगर आयोजना क्षेत्र प्राधिकरण	125.00	43.56	50.22	131.66
3	48-2217050010008 एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन	122.57	42.88	27.04	106.73
4	48-2217030510204 स्मार्ट सिटी मिशन, मुजफ्फरपुर	100.00	65.21	24.50	59.29
5	48-2215011930102 जल जीवन हरियाली	3.00	0.96	10.00	12.04
6	48-2217030510103 नगर आयोजना क्षेत्र प्राधिकरण	2.00	0.00	35.00	37.00
7	48-2217010510103 पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकरण	2.00	0.00	15.00	17.00
	कुल	**806.21**	**500.25**	**373.36**	**679.32**

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे, 2024-25

जैसा कि **तालिका 2.23** से देखा जा सकता है, यद्यपि व्यय मूल बजट (₹ 806.21 करोड़) तक भी नहीं पहुँच सका, फिर भी ₹ 373.36 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान किए गए, जिससे कुल बचत बढ़कर ₹ 679.32 करोड़ हो गई। दो लेखा शीर्षों में, ₹ चार करोड़ के मूल बजट के विरुद्ध कोई व्यय नहीं होने के बावजूद ₹ 50.00 करोड़ के अनुपूरक अनुदान दिए गए, जिसके परिणामस्वरूप 100 प्रतिशत बचत हुई।

v समग्र प्रावधान का अनुपयोगित रह जाना

यह देखा गया कि वर्ष 2024-25 के दौरान, 36 लेखा शीर्षों के तहत ₹ 2,329.09 करोड़ का समग्र बजटीय प्रावधान अप्रयुक्त रहा। इन 36 लेखा शीर्षों में से, ऐसे 11 मामले जहाँ ₹ 2,109.64 करोड़ का कुल बजट प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50.00 करोड़ या उससे अधिक) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहे, **तालिका 2.24** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.24: वर्ष 2024-25 के दौरान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहे बजटीय प्रावधानों का विवरण (₹ 50 करोड़ या उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	लेखा शीर्ष का विवरण	कुल बजट प्रावधान
1	48-2215010510101	पेयजल आपूर्ति योजना (एन०एच०बी० द्वारा वित्तपोषित)	50.00
2	48-2215021070104	स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज (एन०एच०बी० द्वारा पोषित)	200.00
3	48-2217030510104	मोक्षधाम निर्माण (एन०एच०बी० द्वारा पोषित)	50.00
4	48-2217030510206	स्मार्ट सिटी मिशन योजना (भागलपुर)	100.00
5	48-2217030510208	शहरी पुनरुद्धार मिशन: अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन	1,048.00
6	48-2217030510210	शहरी पुनरुद्धार मिशन: अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) (प्रोत्साहन सुधार)	50.00
7	48-2217030510308	शहरी पुनरुद्धार मिशन: अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) - राज्यांश	210.00
8	48-2217017890205	सबके लिए आवास (शहरी) मिशन (पी०एम०ए०वाई०-शहरी)	150.00
9	48-2217801910017	वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निगमों को स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यों के लिए सहायता अनुदान	100.55
10	48-2217801920011	वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर परिषदों को स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यों के लिए सहायता अनुदान	92.48
11	48-2217801930009	वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायतों को स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यों के लिए सहायता अनुदान	58.61
कुल			**2,109.64**

स्रोत: विनियोग लेखे, 2024-25

vi बचतों का अनभ्यर्पण

वर्ष 2020-25 के दौरान अनुदान के राजस्व और पूंजीगत खंडों के तहत बचतों के अनभ्यर्पण का विवरण **तालिका 2.25** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.25: वर्ष 2020-25 के दौरान अनुदान में राजस्व और पूंजीगत खंडवार बचतों का अनभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	राजस्व			पूँजीगत			अनभ्यर्पण का कुल प्रतिशत
	बचत	अभ्यर्पण	अनभ्यर्पण का प्रतिशत	बचत	अभ्यर्पण	अनभ्यर्पण का प्रतिशत	
2020-21	3,752.81	275.00	93.00	200.00	0.00	100.00	93.00
2021-22	4,147.78	0.00	100.00	492.42	0.00	100.00	100.00
2022-23	4,394.35	1451.79	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00
2023-24	5,590.20	1230.84	78.00	189.00	30.00	84.00	78.00
2024-25	5,723.05	2800.44	51.00	245.88	201.38	18.00	50.00
कुल	**23,608.19**	**5,758.07**	**76.00**	**1,127.30**	**231.38**	**79.00**	**76.00**

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

तालिका 2.25 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान, बचत का एक वृहत हिस्सा, राजस्व मद में 51 से 100 प्रतिशत के बीच और पूंजीगत मद में शून्य से 100 प्रतिशत के बीच, अभ्यर्पित नहीं किया गया था। कुल मिलाकर, अनअभ्यर्पण 50 से 100 प्रतिशत के बीच रहा, जो विभाग में खराब बजटीय प्रबंधन को दर्शाता है।

vii अन्य मुद्दे

उपरोक्त के अतिरिक्त, नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुदान की समीक्षा के दौरान देखी गई अन्य महत्वपूर्ण विसंगतियां नीचे दी गई हैं:

- विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 के तहत राज्य जल कार्य योजना के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से ₹ 400 करोड़ की राशि का आहरण किया गया था। यह पूरी राशि अनुपयोगित रही एवं विभाग के बैंक खाते में (जून 2025 तक) पड़ी रही ।
- 31 मार्च 2025 तक, ₹ 17,876.32 करोड़ (सितंबर 2023 तक आहरित) की राशि के कुल 2,429 उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू0सी0) समायोजन के लिए लंबित थे।
- 31 मार्च 2025 तक, कुल ₹ 29.24 करोड़ के 203 सार आकस्मिक (एसी) विपत्रलंबित थे, जिन्हें सितंबर 2024 तक आहरित किया गया था।
- विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत ₹ 509.74 करोड़ का व्यय दर्ज किया, जबकि वास्तविक व्यय केवल ₹ 1.73 करोड़ था। शेष ₹ 508.01 करोड़ की राशि एस.एन.ए खाते में निष्क्रिय पड़ी रही, जिससे विभाग का व्यय इस सीमा तक बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया।
- चार नगर निकायों[10] द्वारा विभिन्न शीर्षों/योजनाओं से संबंधित ₹ 5.19 करोड़ की अप्रयुक्त धनराशि वापस (मार्च 2025 तक) नहीं की गई।

[10] *(i) नगर पंचायत अरेराज, पूर्वी चंपारण: (5वां राज्य वित्त आयोग – ₹ 0.21 करोड़, एस.बी.एम. – ₹ 0.39 करोड़, जल जीवन हरियाली – ₹ 0.27 करोड़) (ii) नगर पंचायत बेलसंड, सीतामढ़ी: (एकीकृत आवास एवं झुग्गी विकास कार्यक्रम – ₹ 2.61 करोड़) (iii) नगर पंचायत, रफीगंज, औरंगाबाद: (5वां राज्य वित्त आयोग – ₹ 0.61 करोड़, मुख्यमंत्री शहरी नली गली योजना – ₹ 0.41 करोड़) एवं (iv) नगर परिषद, राजगीर: (5वां राज्य वित्त आयोग – ₹ 0.69 करोड़)।*

2.9 विशिष्ट बजट

बजट और व्यय के कुछ पहलुओं, जैसे महिलाओं, बच्चों, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर सरकारी व्यय के लिए विशेष ध्यान और अधिक पारदर्शी एवं तार्किक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। बिहार सरकार ने वर्ष 2024-25 के दौरान जेंडर, बाल कल्याण एवं हरित बजट तैयार किए हैं।

2.10 जेंडर बजट की समीक्षा

जेंडर बजट का निर्माण एक रणनीतिक दृष्टिकोण है, जिसे सार्वजनिक नीतियों और बजट के नियोजन, निष्पादन और मूल्यांकन में लैंगिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करके लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तैयार किया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक संसाधनों का वितरण और उपयोग इस तरह से किया जाए जो महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को संबोधित करे।

बजट प्रावधान और व्यय

विगत चार वर्षों के दौरान, राज्य सरकार ने मूल बजट में बजटीय संसाधनों का 13.79 से 15.80 प्रतिशत हिस्सा जेंडर बजट के लिए कर्णांकित किया है। विगत चार वर्षों के राज्य बजट के संबंध में जेंडर बजट की आयोजना एवं निष्पादन का विवरण **तालिका 2.26** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.26: बजट के विभिन्न चरणों और उसके कार्यान्वयन में जेंडर बजट के लिए कर्णांकित बजटीय संसाधन

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
मूल बजट*	राज्य	2,18,302.70	2,37,691.21	2,61,885.40	2,82,992.32
	जेंडर बजट	34,490.56	36,657.03	37,948.71	39,033.64
	राज्य के समग्र मूल बजट में जेंडर बजट की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	15.80	15.42	14.50	13.79
कुल बजट	राज्य का कुल बजट	2,65,396.87	3,01,686.46	3,26,230.12	3,64,518.87
	कुल जेंडर बजट	95,103.97	1,04,543.15	94,394.65	1,20,172.59
	राज्य के समग्र कुल बजट में कुल जेंडर बजट की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	35.83	34.65	28.93	32.97
व्यय	राज्य का कुल व्यय	1,94,202.20	2,35,176.84	2,60,718.07	2,87,178.49
	जेंडर बजट में कुल व्यय	64,648.33	78,041.75	64,316.15	85,046.25
	राज्य के समग्र कुल व्यय में जेंडर बजट की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	33.29	33.18	24.67	29.61

स्रोत: जेंडर बजट एवं संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

**नोट: मूल बजट की राशि जेंडर बजट से ली गई है, जबकि कुल बजट और व्यय की राशि विनियोग लेखे से ली गई है। आंकड़ों की पुनरावृत्ति और प्रत्येक योजना के तहत स्पष्ट बजटीय प्रावधान न होने के कारण कुछ योजनाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है।*

जैसा कि **तालिका 2.26** से देखा जा सकता है, 2021-25 के दौरान जेंडर बजट के तहत कुल बजट और व्यय में क्रमशः 26.36 प्रतिशत और 31.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हालाँकि, 2021-22 से 2024-25 के दौरान, राज्य के कुल बजट और व्यय में क्रमशः 37.35 प्रतिशत और 47.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान जेंडर बजट के तहत कुल बजट और व्यय में केवल 26.36 प्रतिशत और 31.55 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। यह दर्शाता है कि जेंडर बजट के तहत कुल बजट प्रावधान एवं व्यय, राज्य के समग्र बजट एवं व्यय में हुई वृद्धि के सापेक्ष नहीं थे।

जेंडर बजट योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है: श्रेणी 'ए' योजना जिसमें 100 प्रतिशत बजट महिलाओं के लिए समर्पित होता है एवं श्रेणी 'बी' योजना जिसमें बजट का कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए समर्पित होता है। राज्य सरकार के विभागों द्वारा निष्पादित की जा रही योजनाओं में श्रेणी 'ए' के तहत 99 लेखाशीर्ष हैं, जबकि श्रेणी 'बी' की योजनाओं के तहत 629 लेखाशीर्ष हैं।

जेंडर बजट के संदर्भ में योजनाओं की इन दो श्रेणियों में बजट प्रावधानों और व्यय का विवरण **तालिका 2.27** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.27: जेंडर बजट के अंतर्गत योजनाओं की श्रेणियों में बजट आवंटन

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
बजट अनुमान	जेंडर बजट में बजटीय प्रावधान	34,490.56	36,657.03	37,948.71	39,033.64
	योजना 'ए'	12,084.29	13,069.64	10,536.37	6,853.74
	योजना 'ए' का प्रतिशत प्रावधान	35.04	35.65	27.76	17.56
	योजना 'बी'	22,406.27	23,587.39	27,412.34	32,179.90
	योजना 'बी' का प्रतिशत प्रावधान	64.96	64.35	72.24	82.44
कुल बजट	कुल जेंडर बजट	95,103.97	1,04,543.15	94,394.65	1,20,172.59
	योजना 'ए'	18,457.03	20,788.68	13,016.77	14,996.39
	योजना 'ए' का प्रतिशत प्रावधान	19.41	19.89	13.79	12.48
	योजना 'बी'	76,646.94	83,754.47	81,377.87	1,05,176.19
	योजना 'बी' का प्रतिशत प्रावधान	80.59	80.11	86.21	87.52
व्यय	जेंडर बजट में कुल व्यय	64,648.33	78,041.75	64,316.15	85,046.25
	श्रेणी 'ए' योजनाओं के तहत व्यय	11,240.74	18,261.32	4,985.01	10,699.15
	श्रेणी 'ए' योजनाओं के तहत व्यय का प्रतिशत	17.39	23.40	7.75	12.58
	श्रेणी 'बी' योजनाओं के तहत व्यय	53,407.59	59,780.43	59,331.14	74,347.11
	श्रेणी 'बी' योजनाओं के तहत व्यय का प्रतिशत	82.61	76.60	92.25	87.42

स्रोत: जेंडर बजट एवं संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

तालिका 2.27 से यह देखा जा सकता है कि:

- वर्ष 2024-25 में, जेंडर बजट (बजट अनुमान) के तहत श्रेणी 'ए' योजनाओं के लिए बजट आवंटन में 2022-23 की तुलना में 52.44 प्रतिशत की कमी आई है। इसके अलावा, 2021-22 से 2024-25 के दौरान कुल बजट और उसके विरुद्ध होने वाला व्यय असमान और अस्थिर रहा है, हालाँकि विगत वर्ष की तुलना में 2024-25 में इसमें वृद्धि हुई है।

- श्रेणी 'बी' की योजनाओं के मामले में, कुल बजट प्रावधानों में लगातार वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2024-25 के दौरान, श्रेणी 'ए' योजनाओं के तहत व्यय का प्रतिशत (12.58 प्रतिशत), मूल जेंडर बजट में उनकी हिस्सेदारी (17.56 प्रतिशत) की तुलना में काफी कम था। जबकि, श्रेणी 'बी' योजनाओं में, व्यय का प्रतिशत (87.42 प्रतिशत), मूल जेंडर बजट में उनकी हिस्सेदारी (82.44 प्रतिशत) से अधिक था।

अतः, राज्य सरकार को जेंडर बजट बनाने के लिए संसाधनों के निरंतर आवंटन पर अधिक जोर देने और संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ताकि परिकल्पित परिणाम, विशेष रूप से श्रेणी 'ए' योजनाओं के तहत, प्राप्त किए जा सकें।

2.11 बाल कल्याण बजट की समीक्षा

राष्ट्रीय बाल नीति (एन०पी०सी०) - 2013 ने राज्य सरकारों को राज्य के लिए बाल कल्याण बजट तैयार करने हेतु निर्देशित किया था। इस नीति का अनुसरण करते हुए, राज्य सरकार ने बाल कल्याण बजट तैयार करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया और एक बाल बजट नियमावली तैयार की है। बिहार सरकार राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 से लगातार बाल कल्याण बजट तैयार कर रही है।

राज्य के बाल कल्याण बजट के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 228 लेखाशीर्ष शामिल हैं। बजटीय प्रावधानों और व्यय के मामले में, इस बजट के तहत प्रमुख योजनाओं में समग्र शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन, एकीकृत बाल विकास सेवाएँ और पीएम पोषण शक्ति निर्माण आदि शामिल हैं।

बजट प्रावधान एवं व्यय

तालिका 2.28 में विगत चार वर्षों (2021-22 से 2024-25) के लिए राज्य बजट के संदर्भ में, बाल कल्याण बजट आयोजना एवं उसके क्रियान्वयन का एक अवलोकन प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.28: 2021-22 से 2024-25 तक बाल कल्याण बजट का अवलोकन

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
मूल बजट[6]	राज्य का बजट	2,18,302.70	2,37,691.21	2,61,885.40	2,82,992.32
	बाल कल्याण बजट के लिए बजटीय प्रावधान	38,863.99	44,917.07	46,066.29	54,874.55
	बाल कल्याण बजट का प्रतिशत हिस्सा	17.80	18.90	17.59	19.39
कुल बजट[7]	राज्य का कुल बजटीय प्रावधान	2,65,396.87	3,01,686.46	3,26,230.12	3,64,515.87
	बाल कल्याण बजट के लिए कुल बजट	52,016.72	73,414.14	74,604.90	89,930.36
	बाल कल्याण बजट का प्रतिशत हिस्सा	19.59	24.33	22.87	24.67
व्यय	राज्य का कुल व्यय	1,94,202.20	2,35,176.84	2,60,718.07	2,87,178.49
	बाल कल्याण बजट के लिए कुल व्यय	39,296.12	54,069.87	56,496.61	68,245.36
	बाल कल्याण बजट के लिए व्यय का प्रतिशत हिस्सा	20.23	22.99	21.67	23.72

स्रोत: संबंधित वर्षों का बाल कल्याण बजट तथा संबंधित वर्षों के कुल बजट एवं व्यय के लिए विनियोग लेखे

****नोट: मूल बजट की राशि बाल कल्याण बजट से ली गई है, जबकि कुल बजट और व्यय की राशि विनियोग लेखे से ली गई है। आंकड़ों की पुनरावृत्ति और प्रत्येक योजना के तहत स्पष्ट बजटीय प्रावधान न होने के कारण कुछ योजनाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है।***

वर्ष 2022-25 की अवधि के दौरान, बाल कल्याण बजट के तहत मूल बजट, कुल बजट और व्यय में क्रमशः 41.20 प्रतिशत, 72.89 प्रतिशत और 73.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

लेखापरीक्षा ने बाल कल्याण बजट की तीन प्रमुख योजनाओं के लिए वर्ष 2024-25 के बजट और व्यय का विश्लेषण किया। इन योजनाओं को उनमें किए गए बजटीय प्रावधानों और व्यय के आधार पर विश्लेषण के लिए चुना गया है। इसका विवरण **तालिका 2.29** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.29: 2024-25 के दौरान तीन प्रमुख योजनाओं में बजट प्रबंधन का अवलोकन

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	योजना	कुल बजट	व्यय	बचत	कुल बजट के सापेक्ष बचत का प्रतिशत
1	मध्याह्न भोजन (पीएम पोषण) राज्य योजना	400.00	396.18	3.82	0.95
	मध्याह्न भोजन (पीएम पोषण) केंद्र प्रायोजित योजना (राज्यांश + केन्द्रांश)	3,319. 43	2,045.08	1,274.35	38.39
कुल		**3,719.43**	**2,441.26**	**1,278.17**	**34.36**
2	एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) राज्यांश	592.31	558.30	34.01	5.74
	एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) केन्द्रांश	870.16	764.09	106.07	12.19
कुल		**1,462.47**	**1,322.39**	**140.08**	**9.58**
3	समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) राज्यांश	3,442.20	2,528.55	913.65	26.54
	समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) केन्द्रांश	8,994.38	3,791.13	5,203.25	57.85
योग		**12,436.58**	**6,319.68**	**6,116.90**	**49.18**
महायोग		**17,618.48**	**10,083.33**	**7,535.15**	**42.77**

स्रोत: संबंधित वर्षों का बाल कल्याण बजट एवं कुल बजट एवं व्यय के लिए विस्तृत विनियोग लेखा

तालिका 2.29 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2024-25 के दौरान दो योजनाओं (पीएम पोषण और समग्र शिक्षा अभियान) में कुल बजट की तुलना में महत्वपूर्ण बचत हुई है। राज्यांश की तुलना में केन्द्रांश के तहत बचत काफी अधिक थी।

प्रमुख योजनाओं में इतनी बड़ी मात्रा में बचत होना, नियोजित लक्ष्यों की प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

2.12 हरित बजट की समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2020-21 से, बिहार सरकार राज्य के लिए एक हरित बजट तैयार कर रही है। विगत चार वर्षों के दौरान, सरकार ने इस बजट के लिए अपने मूल बजटीय संसाधनों का कम से कम तीन प्रतिशत हिस्सा कर्णांकित किया है।

विगत चार वर्षों (2021-22 से 2024-25) के दौरान राज्य बजट के मुकाबले हरित बजट के बजट अनुमान, कुल बजट एवं व्यय का विवरण **तालिका 2.30** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.30: हरित बजट बनाम राज्य बजट

(₹ करोड़ में)

विवरण		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
मूल बजट	राज्य का बजट	2,18,302.70	2,37,691.21	2,61,885.40	2,82,992.32
	हरित बजट के लिए बजटीय प्रावधान	7,682.91	7,710.25	9,920.77	13,823.49
	हरित बजट का प्रतिशत हिस्सा	3.52	3.24	3.79	4.88
कुल बजट	राज्य का कुल बजटीय प्रावधान	2,65,396.87	3,01,686.46	3,26,230.12	3,64,518.87
	हरित बजट के लिए कुल बजटीय प्रावधान	36,368.58	28,366.70	44,331.56	53,224.83
	हरित बजट का प्रतिशत हिस्सा	13.70	9.40	13.59	14.60
व्यय	राज्य का कुल व्यय	1,94,202.20	2,35,176.84	2,60,718.07	2,87,178.49
	हरित बजट का कुल व्यय	22,000.07	17,936.63	37,048.61	43,659.12
	हरित बजट का प्रतिशत हिस्सा	11.33	7.63	14.21	15.20

बजट अनुमानों के लिए हरित बजट एवं संबंधित वर्षों के कुल बजट एवं व्यय के लिए विस्तृत विनियोग लेखे

जैसा कि **तालिका 2.30** से देखा जा सकता है, विगत तीन वर्षों के दौरान हरित बजट के तहत बजट अनुमान, कुल बजट और व्यय में लगातार वृद्धि हुई है।

हरित बजट के अंतर्गत शामिल योजनाओं को उनके कुल परिव्यय में से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन घटक के लिए कर्णांकित प्रतिशत हिस्से के आधार पर छह श्रेणियों[11] में विभाजित किया गया है। इन छह श्रेणियों के तहत हरित बजट योजनाओं के बजट और व्यय का विवरण **तालिका 2.31** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.31: हरित बजट के अंतर्गत श्रेणीवार बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	श्रेणी	हरित बजट अनुमान	कुल मूल बजट का प्रतिशत	कुल बजट	कुल बजट का प्रतिशत	व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत
2021-22	ए	2,274.08	29.60	2,283.87	6.28	797.10	3.62
	बी	342.55	4.46	441.04	1.21	85.47	0.39
	सी	3,360.15	43.74	5,747.21	15.80	3,784.67	17.20
	डी	604.18	7.86	2,996.69	8.24	1,650.93	7.50
	ई	619.38	8.06	8,567.95	23.56	6,036.68	27.44
	एफ	482.57	6.28	16,331.82	44.91	9,645.22	43.84
	कुल	**7,682.91**	**100.00**	**36,368.58**	**100.00**	**22,000.07**	**100.00**
2022-23	ए	3,344.44	43.38	3,868.32	13.64	2,443.74	13.62
	बी	283.93	3.68	504.16	1.78	112.55	0.63
	सी	2,009.92	26.07	3,517.62	12.40	1,988.58	11.09
	डी	663.37	8.60	3,956.93	13.95	2,116.83	11.80
	ई	920.71	11.94	7,203.39	25.39	3,172.82	17.69
	एफ	487.88	6.33	9,316.28	32.84	8,102.11	45.17
	कुल	**7,710.25**	**100.00**	**28,366.70**	**100.00**	**17,936.63**	**100.00**

[11] *(ए) पूर्णतः समर्पित (>90-100 प्रतिशत), (बी) अत्यधिक महत्वपूर्ण (>75-90 प्रतिशत), (सी) अधिक महत्वपूर्ण (>50-75 प्रतिशत), (डी) मध्यम महत्वपूर्ण (>25-50 प्रतिशत), (ई) निम्न महत्वपूर्ण (>05-25 प्रतिशत) और (एफ) सीमांत महत्वपूर्ण (05 प्रतिशत या उससे कम)।*

वित्तीय वर्ष	श्रेणी	हरित बजट अनुमान	कुल मूल बजट का प्रतिशत	कुल बजट	कुल बजट का प्रतिशत	व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत
2023-24	ए	4,306.85	43.41	8,555.31	19.30	6,898.08	18.62
	बी	190.02	1.92	306.71	0.69	66.92	0.18
	सी	3,587.16	36.16	5,246.24	11.83	3,336.99	9.01
	डी	530.33	5.35	2,095.94	4.73	1,662.10	4.49
	ई	872.28	8.79	7,640.75	17.24	8,077.03	21.80
	एफ	434.13	4.38	20,486.61	46.21	17,007.49	45.91
	कुल	**9,920.77**	**100.00**	**44,331.56**	**100.00**	**37,048.61**	**100.00**
2024-25	ए	6,514.08	47.12	8,243.22	15.49	6,180.36	14.16
	बी	148.77	1.08	414.40	0.78	283.31	0.65
	सी	3,759.61	27.20	6,631.37	12.46	3,768.65	8.63
	डी	1,987.99	14.38	8,420.45	15.82	6,782.70	15.54
	ई	1,267.95	9.17	12,404.30	23.31	10,401.44	23.82
	एफ	144.98	1.05	17,111.10	32.15	16,242.66	37.20
	कुल	**13,823.38**	**100.00**	**53,224.83**	**100.00**	**43,659.12**	**100.00**

स्रोत: संबंधित वर्षों के हरित बजट एवं संबंधित वर्षों के कुल बजट एवं व्यय के लिए विस्तृत विनियोग लेखे

नोट: हरित बजट के आंकड़ों के प्रसंस्करण के दौरान, दोहराव और योजना शीर्षों के विरुद्ध अनिश्चित बजट राशि के कारण कुछ योजनाओं को बाहर रखा गया है। इसलिए, बजट अनुमानों की राशि हरित बजट के कुल संचयी बजट अनुमानों की तुलना में भिन्न हो सकती है।

जैसा कि **तालिका 2.31** से देखा जा सकता है, विगत तीन वर्षों के दौरान हरित बजट की श्रेणियों के अंतर्गत मूल बजट, कुल बजट और उसके विरुद्ध व्यय में (श्रेणी 'एफ' को छोड़कर) उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2024-25 के दौरान, श्रेणी 'ए', 'बी' और 'सी' की योजनाओं के लिए प्रावधानित राशि का कुल प्रतिशत हिस्सा मूल हरित बजट (₹ 13,823.38 करोड़) का 75.40 प्रतिशत (₹ 10,422.46 करोड़) था, जो कि काफी महत्वपूर्ण था। हालांकि, इनके विरुद्ध किया गया व्यय ₹ 10,232.32 करोड़ रहा, जो ₹ 43,659.12 करोड़ के कुल व्यय का मात्र 23.43 प्रतिशत होने के कारण औसत से कम था।

2.13 परिणाम बजट की समीक्षा

बिहार सरकार द्वारा राज्य के लिए परिणाम बजट तैयार करने की शुरुआत वर्ष 2006-07 में की गई थी। परिणाम बजट के माध्यम से व्यय की उपयोगिता एवं प्रभावशीलता का आकलन किया जा सकता है। यह बजट अनुमानों में वित्तीय प्रावधानों के अपेक्षित परिणामों और नागरिकों के लिए सार्वजनिक धन के उपयोग की प्रभावशीलता के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह भौतिक प्रदर्शन के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करता है तथा कार्यक्रमों की सफलता का मूल्यांकन करता है।

परिणाम बजट 2024-25 के अनुसार, बिहार सरकार ने प्रारंभ में विभिन्न केंद्रीय/राज्य योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ-साथ स्थापना व्यय के लिए 41 अनुदानों के 1,420 लेखा शीर्षों के तहत ₹ 1,21,912.10 करोड़ का प्रावधान किया था। इसमें से ₹ 99,985.02 करोड़ की राशि केंद्रीय/राज्य योजनाओं के तहत 1,248 लेखा शीर्षों के लिए निर्धारित की गई थी। शेष ₹ 21,927.08 करोड़ का प्रावधान स्थापना संबंधी व्ययों के लिए 172 लेखा शीर्षों के तहत किया गया था। विवरण **तालिका 2.32** में दर्शाए गए है।

तालिका 2.32: परिणाम बजट 2024-25 का सारांश

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्षों की संख्या	परिणाम बजट के अनुसार मूल प्रावधान	कुल बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय / कुल बजट का प्रतिशत	जमा शीर्ष (8443/8448) में अंतरण
1,248 (योजनाएँ)	99,985.02	1,52,903.38	1,10,198.74/72	14,952.77
172 (स्थापना)	21,927.08	25,702.77	18,413.74/72	398.90
कुल (1,420)	**1,21,912.10**	**1,78,606.15**	**1,28,612.48/72**	**15,351.67**

स्रोत: परिणाम बजट तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय, बिहार

जैसा कि **तालिका 2.32** से देखा जा सकता है, ₹ 1,78,606.15 करोड़ के कुल परिणाम बजट के विरुद्ध योजनाओं और स्थापना पर किया गया व्यय प्रत्येक में 72 प्रतिशत रहा, जो कि मूल बजट का 105 प्रतिशत है।

लेखापरीक्षा ने बजट प्रावधानों के सापेक्ष परिणाम बजट की योजना-वार उपलब्धि का आगे विश्लेषण किया। इसका विवरण **तालिका 2.33** में दिया गया है।

तालिका 2.33: परिणाम बजट के सापेक्ष योजना-वार उपलब्धि

(₹ करोड़ में)

योजनाओं के प्रकार	लेखा शीर्षों की संख्या	मूल प्रावधान	कुल बजट प्रावधान	व्यय*	कुल बजट के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत
केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का केन्द्रांश	250	43,019.82	45,551.75	21,854.85	47.98
केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का राज्यांश	237	12,675.42	35,446.84	28,348.08	79.97
राज्य योजना	754	40,823.76	68,438.77	56,616.80	82.72
केंद्रीय क्षेत्र योजना	2	0.02	0.02	0.01	50.00
बाह्य सहायता प्राप्त राज्य योजनाएं (ई.ए.एस.एस)	5	3,466.00	3,466.00	3,379.00	97.49
कुल	**1,248**	**99,985.02**	**1,52,903.38**	**1,10,198.74**	

स्रोत: वर्ष 2024-25 के लिए परिणाम बजट तथा विस्तृत विनियोग लेखे
**** व्यय में ओ.बी. उचंत राशि शामिल नहीं है।***

जैसा कि **तालिका 2.33** से देखा जा सकता है कि केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं में समग्र उपलब्धि केवल 50 प्रतिशत थी।

इसके अलावा, ₹ 7,703.47 करोड़ रुपये (केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं: ₹ 5,930.64 करोड़, राज्य योजनाएं: ₹ 1,685.82 करोड़, केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं: ₹ 0.01 करोड़ और बाह्य सहायता प्राप्त राज्य योजनाएं: ₹ 87.00 करोड़) के कुल प्रावधानों की तुलना में 320 लेखा शीर्ष (केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं: 183, राज्य योजनाएं:134, केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं: एक और बाह्य सहायता प्राप्त राज्य योजनाएं: दो) मे शून्य उपलब्धि देखी गई।

2.14 आकस्मिकता निधि

बिहार सरकार की आकस्मिकता निधि की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 267(2) के प्रावधानों के तहत, बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 के अंतर्गत की गई थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 283(2) के प्रावधानों के आलोक में, राज्य सरकार ने अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए आकस्मिकता निधि में धन जमा करने, उसकी अभिरक्षा और उससे धन निकालने से संबंधित या उससे जुड़े सभी मामलों को विनियमित करने के लिए नियम बनाए हैं।

इस निधि का मूल कोष ₹ 350.00 करोड़ है। हालांकि, 1 अप्रैल 2024 से 30 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए, अस्थायी आधार पर आकस्मिकता निधि के कोष को ₹ 350 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 10,000.00 करोड़ किया गया था।

2.14.1 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

आकस्मिकता निधि से अग्रिम केवल ऐसी अप्रत्याशित और आपातकालीन प्रकृति के व्ययों को पूरा करने के लिए दिया जाना चाहिए, जिसे विधानमंडल द्वारा अधिकृत किए जाने तक टालना अवांछनीय हो।

यह देखा गया कि राज्य की आकस्मिकता निधि से ₹ 446.49 करोड़ की कुल 59 आहरण आकस्मिक के साथ-साथ गैर-आकस्मिक उद्देश्यों के लिए भी किए गए थे, जिसका सारांश **तालिका 2.34** में दिया गया है।

तालिका 2.34: आकस्मिकता निधि से आहरण का सारांश

(₹ करोड़ में)

आहरण की प्रकृति	मामलों की संख्या	राशि
आकस्मिक	35	442.81
गैर-आकस्मिक	9	3.68
सांकेतिक	15	0.00*
कुल	**59**	**446.49**

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, बिहार

**** ₹ 0.22 लाख***

वर्ष 2024-25 के दौरान, हालांकि आकस्मिकता निधि के मूल कोष में पर्याप्त वृद्धि की गई थी, लेकिन इसका उपयोग केवल 4.46 प्रतिशत ही रहा। जैसा कि **तालिका 2.34** से भी देखा जा सकता है, नौ आहरण के माध्यम से ₹ 3.68 करोड़ की राशि का उपयोग गैर-आकस्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया है।

संपूर्ण राशि ₹ 9,650 करोड़ को 31 मार्च 2025 से पहले मुख्य शीर्ष '7999-आकस्मिकता निधि में विनियोग' के तहत वापस आकस्मिकता निधि में डाल दिया गया था।

2.15 निष्कर्ष

- वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य का कुल व्यय, कुल बजट का 78.78 प्रतिशत रहा, जो मूल बजट, कुल बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। यह अवास्तविक अनुमानों एवं बजट तथा व्यय के बीच खराब संरेखण को भी इंगित करता है।

- कुल 1,909 लेखा शीर्षों के तहत अंतर (बचत/आधिक्य) के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी, लेकिन 1,806 लेखा शीर्षों (94.60 प्रतिशत) के संबंध में कारणों का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, जो कि जवाबदेही को कमजोर करता है और सुधारात्मक पहलों में बाधा डालता है।

- वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अनावश्यक अनुपूरक प्रावधानों और अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के उदाहरण सामने आए, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण बचतें हुईं। हालांकि, इन बचतों के विरुद्ध अभ्यर्पण का स्तर बहुत कम, मात्र 13.43 प्रतिशत रहा।

- नौ योजनाओं के 11 लेखा शीर्षों में, ₹ 3,486.74 करोड़ के कुल बजट (प्रत्येक मामले में ₹ 50 करोड़ या उससे अधिक) के विरुद्ध कोई भी व्यय नहीं किया गया।

- वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान, विगत वर्षों से संबंधित कुल ₹ 15,657.61 करोड़ की राशि लघु शीर्ष "911" के तहत सरकारी खाते में वापस/वसूल की गई, इसमें ₹ 14,571.15 करोड़ (कुल वापसी/वसूली का 93.06 प्रतिशत) 'अधिक/अनपेक्षित निकासी की वापसी' से संबंधित थे।

- वित्तीय वर्ष के अंतिम चतुर्मास के दौरान अधिकतम व्यय (कुल व्यय का 39.85 प्रतिशत) किया गया, जो वित्तीय वर्ष के बिल्कुल अंत में सघन व्यय और निर्धारित सीमा के उल्लंघन को दर्शाता है।

- ₹ 33.11 करोड़ की राशि को राजस्व खंड के बजाय पूंजीगत खंड के तहत गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया, इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय का उस सीमा तक अतिकथन एवं राजस्व व्यय का अवकथन हुआ।

2.16 अनुशंसाएँ

राज्य सरकार:

- बजट वास्तविक आधार पर तैयार करना सुनिश्चित कर सकती है ताकि अनुमानों और वास्तविक व्यय के बीच के अंतर को कम किया जा सके।

- योजनाओं (लेखा शीर्षों) के तहत बचत या आधिक्य के सभी मामलों में स्पष्ट कारण बताना सुनिश्चित कर सकती है, ताकि जवाबदेही और पारदर्शिता बनी रहे।

- विभिन्न मदों के तहत सतत् एवं वृहत् बचत के कारणों की समीक्षा कर सकती है, ताकि आवंटित राशि का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित हो सके।

- यह सुनिश्चित कर सकती है कि सभी अनुमानित बचतों को समय पर अभ्यर्पित कर दिया जाए, ताकि उपलब्ध धनराशि का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सके।

- वित्तीय वर्ष के बिल्कुल अंत में होने वाले व्यय की सघनता की निगरानी एवं नियंत्रण कर सकती है।